TRAI

सत्यमेव जयते

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

गतिविधियों पर रिपोर्ट

(01 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 तक)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

गतिविधियों पर रिपोर्ट

(1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014)

महानगर दूरसंचार भवन
जवाहरलाल नेहरू मार्ग
नई दिल्ली–110002

विषय–सूची

पृष्ठ सं.

1. उपभोक्ता हित

— सेवा की गुणवत्ता 1 – 3

— खुदरा एवं थोक (शुल्क) टैरिफ 3 – 5

— सेवा के प्रावधानों में पारदर्शिता 5 – 7

— स्पैम का मुकाबला (अनचाही टेलीमार्केटिग कॉल्स) 7 – 9

— उपभोक्ता शिकायतों का निवारण 9

— उपभोक्ता सहभागिता 9 – 10

2. सिफारिशें

— स्पेक्ट्रम 11 – 17

— लाइसेंस देना 18

— दूरसंचार के लिए सार्वभौमिक पहुंच 18 – 19

— पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी 19 – 20

— लाइसेंस समझौते में एजीआर 20 – 21

— एफएम रेडियो 21

— डायरेक्ट टू होम 21 – 24

— मीडिया स्वामित्व 24 – 26

— सामुदायिक रेडियो 26 – 27

— प्लेटफार्म सेवाएं 27 – 28

3. अन्य मुद्दे

— टेक्नोलॉजी डाइजेस्ट का प्रकाशन 29

— हरित दूरसंचार 29

— एमआईएस परियोजना 29

— भादूविप्रा के लिए सूचना सुरक्षा नीति तैयार करना और उसका कार्यान्वयन 29

— लेखा परीक्षा और सर्वेक्षण 30

— ''मोबाइल टावरों और हैंडसेटों से निकलने वाले विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रीय विकिरण के प्रभाव'' की सूचना 30

— मीटरिंग और बिलिंग 30 – 31

प्रस्तावना

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के विनियमन के लिए स्थापित एक सांविधिक निकाय है। भादूविप्रा अधिनियम 1997 के कार्यान्वयन के द्वारा भादूविप्रा (वर्ष 2000 में संशोधित) को बनाया गया था। दिनांक 9 जनवरी 2004 की सरकारी अधिसूचना के साथ, यह अधिनियम, भादूविप्रा को नए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रवेश के लिए शर्तें तय करने के साथ–साथ लाइसेंस देने के लिए नियमों और शर्तों की सिफारिश करने और नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम भादूविप्रा को सेवाओं की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने, शुल्क नीति निर्दिष्ट करने और ग्राहकों को पता करने योग्य टेलीविज़न प्रणालियां उपलब्ध कराने से संबंधित नियम व शर्तें निर्धारित करने के लिए सिफारिश करने तथा भुगतान के साथ और अन्य टीवी चैनलों पर विज्ञापनों के लिए अधिकतम समय सीमा के विनियमन के लिए मापदंड तय करने का अधिकार प्रदान करता है। भादूविप्रा के कार्य क्षेत्र में दूरसंचार और केबल शुल्क नीति, वाणिज्यिक और पारस्परिक संबंधों के तकनीकी पहलू, जनता के लिए विभिन्न दूरसंचार सेवाओं का स्वतंत्र चुनाव और पहुंच के लिए समान आसानी से संबंधित मुद्दे और बाजार के विकास और विविध दूरसंचार सेवाओं की विभिन्न नेटवर्क संरचनाओं की वजह से उत्पन्न हो सकने वाले विवादों का निपटारा करना शामिल है। भादूविप्रा सेवा प्रदाताओं के बीच बातचीत करने और उपभोक्ताओं के हितों को आगे करने के लिए उपभोक्ता संगठनों के साथ प्राधिकरण की बातचीत के लिए प्लेटफार्मों के विकास की सुविधा भी प्रदान करता है।

प्राधिकरण ने वर्ष 2014 में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के विकास और उन्नयन का प्रचार करने के लिए विभिन्न उपाय किए। दूरसंचार के मोर्चे पर, भादूविप्रा ने स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण, स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग और स्पेक्ट्रम शेयरिंग के जटिल मुद्दों को संबोधित किया। सरकार से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने और इनमारसैट/सेटलाइट सेवाओं का प्रावधान करने के लिए अनुशंसाएं की गई थीं। शुल्क के मोर्चे पर, इस प्राधिकरण ने अधिकांश सेवाओं के संबंध में सहिष्णुता की सामान्य नीति को जारी रखा। घरेलू लीज्ड सर्किट (डीएलसी) के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा को कम किया गया था। इस कमी से, छोटे शहरों, दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने वाले लीन मार्गों पर डीएलसी की मांग करने वाले ग्राहक लाभान्वित होंगे। डीएलसी के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा को घटाने से अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड सेवा (उपयोग प्रभार) विनियम 2014 जारी किया है। इन विनियमों से, कॉलिंग कार्ड की शुरूआत के लिए मार्ग प्रशस्त करने की उम्मीद की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को अपने लिए अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटर का चयन करने की सुविधा मिलेगी। यह आगे आईएसडी कॉल के शुल्क को कम करेगा। उपभोक्ता हित में प्रभावी कदम भी उठाए गए थे। वर्ष में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति–2012 की दिशा में पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का भी क्रियान्वयन हुआ।

इस प्राधिकरण ने प्रसारण क्षेत्र में, एफएम रेडियो प्रसारकों के स्थानांतरण को अगले चरण में ले जाने, नए डीटीएच लाइसेंस, मीडिया स्वामित्व और सामुदायिक रेडियो की स्वीकृति के मुद्दों को संबोधित किया। प्राधिकरण ने प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे पर अपनी सिफारिशें भी भेजीं। प्राधिकरण ने स्वप्रेरणा से यह सुनिश्चित करने के लिए भी

सिफारिशें की कि भूमि आधारित प्रसारकों के साथ–साथ भारत में किसी भी टीवी नेटवर्क पर वितरित किये जाने वाले किसी भी टीवी चैनल को एक विनियामक ढांचे के द्वारा कवर किया जाता है, चाहे वह एक उपग्रह आधारित प्रसारक से प्राप्त होता हो, नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा उत्पादित किया जाता हो या एक स्थलीय प्रसारक द्वारा संसाधित किया जाता हो।

देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से इस प्राधिकरण ने उपभोक्ता जागरूकता और उपभोक्ता भागीदारी के लिए उपभोक्ता आउटरीच प्रोग्राम (सीओपीएस) और कार्यशालाएं आयोजित करने के द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। ये प्रयास भादूविप्रा–ग्राहक इंटरफेस में सुधार करने और प्रणालीगत मुद्दों को शीघ्र निपटाने के लिए किए गए हैं। भादूविप्रा ने अपने आदेशों, निर्देशों और विनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। विनियामक आवश्यकताओं के पालन की करीब से निगरानी, गैर–अनुपालन के लिए वित्तीय हतोत्साहन लगाने और गंभीर दुष्कर्म के मामलों में अभियोजन पक्ष की शिकायतों की संस्था, सभी में बेहतर अनुपालन और विनियामक प्रवर्तन हुए।

यह रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष 2014 के दौरान इस प्राधिकरण की गतिविधियों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। हितधारकों की जानकारी के लिए यह रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र (डोमेन) में भी उपलब्ध है। गतिविधियों का वर्गीकरण केवल आम जनता के आसानी से समझने के लिए किया गया है। सभी सिफारिशें, विनियम, आदेश और निर्देश आदि इस रिपोर्ट में संदर्भित भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं और विस्तृत जानकारी के लिए इन्हें संदर्भित किया जा सकता है। आशा की जाती है कि यह रिपोर्ट हितधारकों को दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों के विकास को बढ़ाने के लिए की गई विभिन्न सिफारिशों, विनियम, दिशानिर्देशों आदि के बारे में एक व्यापक दृष्टि और प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदमों की बेहतर समझ देता है।

(सुधीर गुप्ता)
सचिव

गतिविधियों पर रिपोर्ट

I. उपभोक्ता हित

उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा भादूविप्रा के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। प्राधिकरण ने विनियामक तंत्र सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिससे उपभोक्ता संतुष्टि के सूचकांक में सुधार लाने की दिशा में योगदान मिला है। भादूविप्रा उपभोक्ताओं की जागरुकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता संगठनों के साथ बातचीत भी की है और नीति निर्माण में उनके विचारों और चिंताओं को शामिल करता है।

सेवा की गुणवत्ता

प्राधिकरण दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (दूरसंचार सेवा प्रदाता) द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए सेवा के गुणवत्ता (क्यूओएस) मानक निर्धारित किए हैं। भादूविप्रा उपभोक्ताओं के लिए अच्छी सेवा सुनिश्चित करता है और मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने पर भी निगरानी रखता है।

भादूविप्रा त्रैमासिक 'प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट' (पीएमआर) और क्यूओएस मानक के खिलाफ उनके द्वारा प्रस्तुत 'अंतर संपर्क संकुलन रिपोर्ट बिंदु' के माध्यम से टीएसपी के प्रदर्शन पर लगातार निगरानी रखता है। सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के इरादे के साथ भादूविप्रा सेवा प्रदाताओं के साथ को भी नियमित रूप से सूचना का आदान प्रदान करता है। टीएसपी द्वारा प्रदान किए जाने वाले क्यूओएस का स्वतंत्र रूप से आकलन करने के लिए, भादूविप्रा ने लेखापरीक्षा और सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए क्षेत्रीय आधार पर स्वतंत्र एजेंसियों को नियुक्त किया है। भादूविप्रा सेवा के बारे में ग्राहक की धारणा का आकलन करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से सर्वेक्षण और लेखापरीक्षा भी आयोजित करता है। लेखापरीक्षा और सेवा और सर्वेक्षण की गुणवत्ता के मूल्यांकन के परिणामों को हितधारकों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है और ये भादूविप्रा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। सेवा मानकों की गुणवत्ता का पालन करने में विफलता के लिए भादूविप्रा ने सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय हतोत्साहन भी लगाया है। यह टीएसपी द्वारा निर्धारित मानक और कृत्यों को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए एक सतत् चलने वाली गतिविधि है और अखिल भारतीय आधार पर टीएसपियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में काम करती है।

वर्ष के दौरान, सेवा वितरण में सुधार के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए गए थेः–

1. *ब्रॉडबैंड सेवा हेतु सेवा की गुणवत्ता (द्वितीय संशोधन) विनियम 2014 दिनांक 25 जून, 2014*

प्राधिकरण ने 6 अक्टूबर 2006 दिनांक ब्रॉडबैंड सेवा हेतु सेवा की गुणवत्ता विनियम 2006 के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवा के लिए क्यूओएस मानकों की गुणवत्ता निर्धारित की है। उक्त संशोधन के माध्यम से, 'ब्रॉडबैंड' को पिछली परिभाषा, 256 केबीपीएस की न्यूनतम डाउनलोड गति के साथ कनेक्शन से 512 केबीपीएस की न्यूनतम डाउनलोड की गति के साथ एक कनेक्शन में संशोधित किया गया था। यह उपभोक्ताओं के लिए बेहतर गुणवत्ता, इंटरनेट की तेज और आसान एक्सेस सुनिश्चित करेगा।

2. *''वायरलेस डेटा सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक (संशोधन) विनियम, 2014'', दिनांक 24 जुलाई 2014*

ग्राहकों के लिए वायरलेस डेटा सेवा के उचित वितरण, क्यूओएस और पारदर्षिता को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने 04 दिसंबर 2012 को वायरलेस डेटा मानक विनियम, 2012 के लिए क्यूओएस के मानकों के माध्यम से वायरलेस डाटा सेवाओं के लिए क्यूओएस गुणवत्ता मानक निर्धारित किए। इन नियमों में, ''न्यूनतम डाउनलोड गति'' सेवा की गुणवत्ता के मानकों में से एक है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए प्रस्तावित प्रत्येक डेटा योजना के लिए निर्धारित परीक्षा पद्धति के अनुसार न्यूनतम डाउनलोड गति को मापना और भादूविप्रा को रिपोर्ट करना अनिवार्य बना दिया गया। ग्राहकों द्वारा इस बारे में चिंता जाहिर की गई कि दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने प्रस्ताव में दी गई डाउनलोड गति उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इस संशोधन के माध्यम से, प्राधिकरण ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए सभी उपलब्ध डेटा योजनाओं में ग्राहकों के लिए न्यूनतम डाउनलोड गति का संकेत करना अनिवार्य बना दिया है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए उपलब्ध न्यूनतम डाउनलोड गति के विवरणों को वायरलेस डेटा योजनाओं के वाउचरों, अपनी वेबसाइटों पर प्रकाषित करना और अपने शिकायत केंद्रों और बिक्री दुकानों पर उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है।

3. *बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (तृतीय संशोधन) विनियम के सेवा की गुणवत्ता के मानक 2014, दिनांक 21 अगस्त 2014*

प्राधिकरण ने बुनियादी दूरसंचार सेवाओं (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम 2009 (2009 का 7) के गुणवत्ता के मापदंडों के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा दूरसंचार उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न वायरलाइन और सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के लिए मानक जारी किए हैं। प्राधिकरण नियमित आधार पर सेवा प्रदाताओं द्वारा इन मानकों के अनुपालन की निगरानी कर रहा है और निर्धारित मानकों के अनुपालन में असफल होने पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर आर्थिक हतोत्साहन लगा रहा है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रदर्षन की निगरानी से भादूविप्रा ने पाया कि खराबी की घटनाओं, खराबी की मरम्मत और सहायता के लिए उपभोक्ताओं को जवाब देने के समय से संबंधित मानकों के अनुपालन के क्षेत्र में बार–बार समस्या आ रही है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन में व्यावहारिक और वास्तविक कठिनाइयों के होने और कुछ मानकों के संबंध में मानदंडों पर पुनर्विचार करने के अनुरोध के साथ प्राधिकरण के समक्ष प्रतिवेदन दिया गया। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ चर्चा करने के बाद प्राधिकरण ने बुनियादी दूरसंचार सेवाओं (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के क्यूओएस मानकों को उदार बनाने के लिए एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की। आवश्यक परामर्श और आंतरिक आकलन के बाद, यह पाया गया कि कुछ क्यूओएस मानकों के मानदंडों को प्राप्त करने में, व्यावहारिक और वास्तविक कठिनाइयां हैं। विस्तृत विश्लेषण के बाद, दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा मानकों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस संशोधन के माध्यम से मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया गया था। यह कदम वायरलाइन और मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए सेवा की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।

4. ***डीएएस क्षेत्रों में बहु प्रणाली परिचालकों (एमएसओ) के लिए ग्राहक के व्यक्तिगत बिल का वितरण सुनिश्चित करने, बिल का ऑनलाइन भुगतान करने का विकल्प प्रदान करने और किए गए भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक पावती भेजने के लिए दिनांक 27 मई 2014 का निर्देश।***

कुछ एमएसओ के निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण ने पाया कि सेवा की गुणवत्ता के मानक के प्रावधानों का अनुपालन (संबोधन योग्य डिजिटल केबल टीवी सिस्टम) विनियम और ग्राहकों के लिए बिल और रसीदों के प्रावधान से संबंधित दिशा–निर्देश संतोषजनक नहीं था। तदनुसार, डीएएस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत एमएसओ को, ग्राहक द्वारा चुने जाने वाले साधनों के माध्यम से प्रत्येक ग्राहक को बिल का वितरण सुनिश्चित करने, ग्राहकों को ऑनलाइन बिल भुगतान का एक विकल्प प्रदान करने और किए गए भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक पावती के प्रावधान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इस कदम उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और यह सेवा की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

खुदरा और थोक टैरिफ

भादूविप्रा टैरिफ विनियमों के माध्यम से उपभोक्ता के हितों की संरक्षा करता है और ग्राहकों के लिए दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं को प्रस्तावित की जाने वाली दरों को निर्धारित करता है। टैरिफ ऑफर में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जहां बाजार उपभोक्ताओं के लिए इष्टतम दर नहीं देते हैं वहां टैरिफ प्रभारों को निर्धारित करने के लिए टैरिफ विनियम लागू किया जाता है। दूरसंचार क्षेत्र में तीव्र प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इस प्राधिकरण ने अधिकांश दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ की तुलना में सहिष्णुता का प्रयोग किया है। वर्तमान अवधि के दौरान निम्नलिखित टैरिफ निर्दिष्ट किए गए हैं:–

1. ***दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (ग्यारहवां संशोधन आदेश 2014 दिनांक 31 मार्च 2014 तथा तेरहवां संशोधन दिनांक 31 दिसंबर, 2014)***

भादूविप्रा 2004 से दूरसंचार और केबल टीवी के टैरिफ को विनियमित कर रहा है। इसका उद्देष्य दूरसंचार और केबल टीवी के शुल्क में होने वाली अक्सर वृद्धि से उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना है। तदनुसार, 2004 में अधिसूचित एनालॉग केबल टीवी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली टीवी सेवाओं के लिए प्रमुख टैरिफ आदेश में, भादूविप्रा ने निर्धारित किया कि 26 दिसंबर 2003, को विभिन्न स्तरों पर लागू शुल्क अधिकतम टैरिफ होंगे। हालांकि, प्राधिकरण ने मुद्रास्फीति का समायोजन करने के लिए समय–समय पर निर्धारित शुल्क की अधिकतम सीमा की समीक्षा करता रहा है। टैरिफ आदेश के कुछ प्रावधान 2008 से न्यायिक जांच के दायरे में हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एक टैरिफ निर्धारण कार्य किया गया। इसलिए जनवरी 2009 से मार्च 2014 तक नियत अतरालों पर वृद्वि से संबंधित समसमायोजनों को नहीं किया जा सका। मार्च 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ विचार विमर्श के बाद प्राधिकरण द्वारा समीक्षा की गई।

पिछले पांच वर्षों में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में वृद्धि और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार के आधार पर, प्राधिकरण एक निष्कर्ष पर पहुँचा था और एक समग्र 27.5 प्रतिषत मुद्रास्फीति वृद्धि की अनुमति दी है। उपभोक्ता के हित का ध्यान रखते हुए, प्राधिकरण ने फैसला किया कि इस बढ़ोतरी को दो किस्तों में लागू किया जाना चाहिए।

15 प्रतिशत की पहली किस्त 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी की गई। मुद्रास्फीति से जुड़ी शेष वृद्धि के लिए दूसरी किस्त को 1 जनवरी 2015 से प्रभावी किया जाएगा, जिसे बाद में अधिसूचित किया जाएगा। इस बढ़ोत्तरी को समायोजित करने के लिए सभी हितधारकों को पर्याप्त और उचित समय दिए जाने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति से जुड़ी द्वितीय किश्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) (टैरिफ) (तेरहवां संशोधन) आदेश, 2014, दिनांक 31 दिसंबर, 2014 अधिसूचित किया।

2. वाणिज्यिक ग्राहकों से संबंधित टैरिफ आदेश विनियमों में संशोधन

वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए शुल्क निर्धारित करने के टैरिफ आदेश से संबंधित एक मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल, 2014 में, भादूविप्रा से ऐसे ग्राहकों के लिए एक नई टैरिफ व्यवस्था करने के लिए कहा। तदनुसार, भादूविप्रा ने 16 जुलाई और 18 जुलाई 2014 को, व्यावसायिक ग्राहकों को प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं से संबंधित टैरिफ आदेश/नियमों में संशोधन अधिसूचित किया। ये संशोधन, वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए टीवी सिग्नलों के वितरण के तरीके के बारे में स्पष्टता लाएंगे, इनका उद्देश्य टीवी संकेतों के वांछित उपयोग के आधार पर निर्धारित टैरिफ और टैरिफ नियमन में पारदर्शिता बढ़ाना है।

(i) वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जो अपने ग्राहकों/मेहमानों को टेलीविजन पर कार्यक्रम दिखाने/उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से प्रभार नहीं लगाते, और ऐसी सेवाओं की सुविधाओं के हिस्से के रूप में पेशकश करते हैं, उन्हें सामान्य ग्राहक माना जाएगा, जहां प्रति टेलीविजन के आधार पर प्रभार तय किया जाएगा;

(ii) ऐसे मामलों में जहां व्यावसायिक प्रतिष्ठान टेलीविज़न कार्यक्रमों को दिखाने/उपलब्ध कराने के लिए ग्राहकों/मेहमानों से विशेष रूप से प्रभार लेते हैं, वहां टैरिफ प्रसारक और वाणिज्यिक ग्राहक के बीच आपस में सहमति की शर्तों पर निर्धारित किया जा सकता है;

(iii) सभी मामलों में, वाणिज्यिक ग्राहक केवल एक वितरण प्लेटफार्म परिचालक (एमएसओ/डीटीएच ऑपरेटर/केबल ऑपरेटर/आईपीटीवी ऑपरेटर/एचआईटीएस ऑपरेटर) से टेलीविजन सेवाएं प्राप्त करेगा।

3. दूरसंचार टैरिफ (सत्तावनवां संशोधन) आदेश 2014, दिनांक 14 जुलाई 2014 और दूरसंचार टैरिफ (अठ्ठावनवां संशोधन) आदेश 2014, दिनांक 1 अगस्त 2014 घरेलू लीज्ड सर्किट (डीएलसीज) के लिए टैरिफ की अधिकतम सीमा को कम करता है

एक चार्टर्ड सर्किट ग्राहक द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके पर ध्यान दिए बगैर एक ग्राहक के अनन्य उपयोग के लिए एक दोहरे मार्ग की कड़ी है। भारत के भीतर अपने दोनों छोरों के–लिंक वाले चार्टर्ड सर्किट को एक घरेलू लीज्ड सर्किट (डीएलसी) करार दिया है। देश में मौजूद लाइसेंस क्षेत्र के अनुसार, राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटर (एनएलडीओएस) और पहुँच सेवा प्रदाता (एएसपीएस) दोनों, डीएलसी प्रदान कर सकते हैं। डीएलसीज के लिए टैरिफ की अधिकतम सीमा को प्राधिकरण द्वारा, दिनांक 21 अप्रैल 2005 के दूरसंचार टैरिफ (36वां संशोधन) आदेश, 2005 के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया था। 2014 में, देखा गया कि घने (अधिक भीड़ वाले) मार्गों पर डीएलसी के लिए प्रचलित शुल्क प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा शुल्कों के काफी नीचे था। हालांकि, पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में टैरिफ की अधिकतम दरें लागू थीं।

(i) पारेषण प्रौद्योगिकी में उन्नति, (ii) बुनियादी ढांचे में वृद्धि हुई और (iii) प्रसारण मीडिया की वहन क्षमता बैंडविड्थ की वृद्धि की वजह से डीएलसी उपलब्ध कराने की प्रति यूनिट लागत में कमी देखी गई थी। प्राधिकरण ने देश के कुछ भागों में प्रतिस्पर्धा में कमी के लक्षण भी देखे। वर्तमान लागत के साथ अधिकता शुल्कों को संरेखित करने के विचार के साथ, प्राधिकरण ने डीएलसी के लिए अधकतम शुल्कों की समीक्षा करने का फैसला किया।

एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया के बाद, प्राधिकरण द्वारा, टीटीओ (57वां संशोधन), 2014 के माध्यम से डीएलसीज के लिए टैरिफ शासन में निम्न परिवर्तन किया गया है;

(क) ई1 से कम क्षमता के डीएलसीज के लिए टैरिफ को सहिष्णुता के तहत रखा गया है।

(ख) ई1, डीएस–3 और एसटीएम–1 क्षमताओं के डीएलसीज के लिए टैरिफ की अधिकतम सीमा कम हो गई है।

(ग) एसटीएम–4 की क्षमता के डीएलसीज के लिए टैरिफ को टैरिफ की अधिकतम सीमा के माध्यम से टैरिफ विनियमन के तहत लाया गया है।

उम्मीद की जाती है कि टैरिफ की अधिकतम सीमा में कमी के कार्यान्वयन के साथ, असम, उत्तर पूर्व, जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा जैसे छोटे शहरों, दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों आदि को जोड़ने के लीन मार्गों पर डीएलसीज की मांग करने वाले (यानी ऐसे मार्ग जो पर्याप्त प्रतिस्पर्धी नहीं हैं) ग्राहक लाभान्वित होंगे। प्राधिकरण का विचार है कि डीएलसीज के लिए टैरिफ की अधिकतम सीमा में इस कमी से मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

सेवा प्रावधानों में पारदर्शिता

सेवा के प्रावधान में पारदर्शिता सुनिश्चित करना उपभोक्ता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण आयाम है। भादूविप्रा ने ऐसी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपाय आरंभ किए हैं:–

1. प्रसारकों से वितरण प्लेटफार्म परिचालकों (डीपीओएस) अर्थात् केबल, डीटीएच, एचआईटीएस और आईपीटीवी परिचालकों के लिए टीवी चैनलों के वितरण के संबंध में मौजूदा विनियामक ढांचे का संशोधन

केबल टीवी क्षेत्र के पहले और दूसरे चरण के डिजिटलीकरण के दौरान देखा गया था कि प्रसारकों के अधिकृत एजेंट, एग्रीगेटर्स, बड़े समूहों का गठन कर रहे थे और विभिन्न प्रसारकों के चैनलों के संयोजन के लिए केबल, डीटीएच, हिट्स और आईपी जैसे टीवी ऑपरेटरों डीपीओ पर दबाव डाल रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में विकृतियां आ रही थीं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने भी एग्रीगेटर्स के संबंध में विनियामक ढांचे की समीक्षा के लिए भादूविप्रा को अनुरोध भेजा था। इन संशोधनों का उद्देश्य, प्रसारकों से डीपीओएस के लिए टीवी चैनलों के वितरण को

व्यवस्थित बनाने के द्वारा क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास और समग्र विकास में योगदान करना है। इन संशोधनों के मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार हैं:–

(i) प्रसारक को एक ऐसी यूनिट के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके पास अपने नाम पर आवश्यक सरकारी अनुमतियां हों।

(ii) संदर्भ इंटरकनेक्ट प्रस्ताव (आरआईओएस) केवल प्रसारक प्रकाशित करेगा और डीपीओएस के साथ परस्पर संबंध के समझौतों में प्रवेश करेगा। हालांकि, यदि एक प्रसारक अपने विनियामक दायित्वों के निर्वहन में, एक एजेंट की सेवाओं का उपयोग कर रहा है तो एक प्रसारक, ऐसे अधिकृत एजेंट केवल प्रसारक के नाम पर और उसकी ओर से कार्रवाई कर सकते हैं।

(iii) प्रसारणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकृत एजेंट डीपीओज को चैनल/बुके (चैनलों का समूह), प्रदान करते हुए प्रसारक द्वारा आरआईओज में प्रस्तावित चौनलों के समूह को बदल न दें।

(iv) ऐसे मामले में, जहां एक एजेंट कई प्रसारकों के अधिकृत एजेंट के रूप में कार्य करता है, प्रत्येक प्रसारक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे एजेंट उसके चैनलों या चैनलों के समूह को अन्य प्रसारकों के चैनलों के साथ संयुक्त न करे। हालांकि, एक ही समूह से संबंधित प्रसारणकर्ता कंपनियां अपने चैनलों को संयुक्त कर सकती हैं।

2. 'अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड सेवा (प्रवेश प्रभार) विनियम, 2014'' दिनांक 19 अगस्त 2014

इससे पहले, एक ग्राहक के पास आईएसडी कॉल करने के लिए अपने लंबी दूरी के वाहक को चुनने और लंबी दूरी के क्षेत्र में प्रतियोगिता न होने से कम टैरिफ का लाभ प्राप्त करने का विकल्प नहीं था। चयन की इस कमी की वजह से, टीएसपी लंबी दूरी की कॉल के लिए उपभोक्ता से उच्च खुदरा टैरिफ वसूलने में सक्षम था। प्राधिकरण ने अपने ग्राहकों को एसटीडी/आईएसडी कॉल के लिए एनएलडीओ/आईएलडीओ का चयन करने में सक्षम बनाने के लिए 24 जुलाई 2002 को एक दिशानिर्देश जारी किया था। विभिन्न कारणों से निर्देश को लागू नहीं किया जा सका है। एनएलडीओ/आईएलडीओ को सीधे उपभोक्ताओं को फोन कार्ड जारी करने की अनुमति देने के लिए 2010 में लाइसेंस में संशोधन किया गया था। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच समयबद्ध समझौतों की सुविधा के लिए इंटेलिजेंट नेटवर्क विनियम को भी संशोधित किया गया था। हालांकि उपभोक्ताओं को अभी भी एसटीडी/आईएसडी कॉल करने के लिए लंबी दूरी के ऑपरेटर का चयन करने का विकल्प प्राप्त नहीं है। जब भी इस मुद्दे को उठाया गया है, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने, हर बार अपना रुख बदलकर प्रतियोगिता की शुरुआत को चकमा देने की कोशिश की है। परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के पास लंबी दूरी की कॉल के लिए अधिक चयन होने का अवसर टल गया है। 2012 में, जब आपस में समझौते की सुविधा के लिए इंटेलिजेंट नेटवर्क विनियम को संशोधित किया गया था ताकि उपभोक्ता को एनएलडीओ/आईएलडीओ का विकल्प मिल सके, तब दूरसंचार सेवा प्रदाता पीछे हट गए और कोई आम सहमति प्राप्त नहीं की जा सकी, कुछ उपयोग प्रदाताओं ने जिससे आईएलडीओ के लिए अवास्तविक उपयोग शुल्क की पेशकश कर पूरी प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए असंभव बना दिया।

'कॉलिंग कार्ड सेवाओं के लिए राजस्व साझा करने की व्यवस्था' के दस साल से अधिक समय से लंबित मुद्दे को संबोधित करने के लिए 14 नवंबर, 2013 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। आवश्यक परामर्श प्रक्रिया को पूरा

करने के बाद, भादूविप्रा ने पहुंच सेवा प्रदाता को अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटर द्वारा देय का उपयोग शुल्क निर्धारित करने के लिए विनियम जारी किए। आईएलडीओ द्वारा उपयोग प्रदाता को वायरलाइन सेवाओं के लिए प्रति मिनट 1.20 रुपए का और वायरलेस सेवाओं के लिए प्रति मिनट 40 पैसे के उपयोग शुल्क का भुगतान किया जाना है। इन विनियमों से कॉलिंग कार्ड की शुरूआत के लिए मार्ग प्रशस्त करने की उम्मीद की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक के पास अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटर का चयन करने का विकल्प होगा, जो आईएसडी कॉल के शुल्क को कम करेगा।

3. मैसर्स लूप मोबाइल (इंडिया) लिमिटेड के लिए उसके सीएमटीएस लाइसेंस की समाप्ति की वजह से 29 नवंबर, 2014 को मुंबई के लाइसेंस वाले सेवा क्षेत्र (एलएसए) में सेवाओं को बंद करने के लिए दिनांक 30 सितंबर और 7 नवंबर 2014 को दिए गए निर्देश

सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) लाइसेंस के समाप्त होने के कारण, मैसर्स लूप मोबाइल (इंडिया) लिमिटेड ने 29 नवंबर, 2014 से अपना संचालन बंद कर दिया।

मैसर्स लूप मोबाइल के उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा और मैसर्स लूप की सेवा के बंद होने के बारे में अग्रिम जानकारी प्रदान करने और मैसर्स लूप को बिना किसी परेशानी के अपने उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के सेवा प्रदाता के चयन के लिए, प्राधिकरण ने सितंबर 2014 को मैसर्स लूप मोबाइल (इंडिया) लिमिटेड को मुंबई एलएसए में अपनी सेवाओं के बंद होने की सूचना देने का निर्देश दिया है :–

(i) अपने उपरोक्त एलएसए में, अपने सभी मौजूदा ग्राहकों को या तो लिखित में या एसएमएस/ई–मेल भेजने के द्वारा उक्त निर्देश जारी होने के दस दिनों के भीतर सूचित करे;

(ii) अपने हर नए ग्राहक को उसके नेटवर्क के लिए नामांकन कराने के समय।

इन निर्देशों के अनुपालन में, मैसर्स लूप को यह सूचना देने का अनुरोध कि इसकी वर्तमान प्रणालियों के द्वारा 'उपभोक्ताओं के लिए एमएमएस ब्लास्ट' के कारण अनुरोध को पूरा करना संभव नहीं है या उपभोक्ताओं के लिए अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करने हेतु समाचार पत्रों में 'विज्ञापन' देना संभव नहीं। प्राधिकरण ने दिनांक 7 नवंबर 2014 के अपने दिशानिर्देश के माध्यम से, मैसर्स लूप को एक अतिरिक्त सेवा प्रदाता कोड आवंटित किया था ताकि इसकी मदद से बड़ी संख्या में यूनीक पोर्टिंग कोड पहले से ही उत्पन्न किए जा सकें और मैसर्स लूप के सभी उपभोक्ताओं को इसके बारे में सूचित किया जा सके ताकि उपभोक्ता अपने नंबरों को दूसरी मोबाइल कंपनियों के लूप पर पोर्ट कर सकें।

प्राधिकरण ने अपने सभी उपभोक्ताओं को यह सूचना भी दी है कि मुंबई सेवा क्षेत्र में मैसर्स लूप एक प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से 29 नवंबर 2014 से पहले लूप नेटवर्क से पोर्ट ऑउट करेगी।

स्पैम का मुकाबला करना (अनचाही टेलीमार्किटिंग कॉल)

1. टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2014'' दिनांक 7 अप्रैल 2014

भा.दू.वि.प्रा. ने अनचाही व्यावसायिक संचार (यूसीसी) को रोकने के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा उपलब्ध कराने के लिए 15 दिसंबर 2010 दिनांक, टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन, 2010, टीसीसीपी विनियम जारी किया था। वर्तमान जरूरत को पूरा करने के लिए समय–समय पर इन विनियमों को संशोधित किया गया

है। वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन विनियमों को समय समय पर संशोधित किया गया है। 13वें संशोधन के माध्यम से इस स्वरूप को मजबूती प्रदान करने हेतु यह कहा गया कि संस्थाओं के टेलीकॉम संसाधन जैसे बैंक, बीमा कंपनियां और रियल एस्टेट कंपनियां, जिनकी ओर से यूसीसी को भेजा गया था, को भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, इसलिए इस कृत्य को इस प्रकार के संस्थानों के विरूद्ध दुस्साहस के रूप में निर्धारित किया गया था, जिससे कि उनमें जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न की जा सके।

इन संस्थाओं में से कुछ ने अपने विच्छेदित संसाधनों के कनेक्शन के लिए अनुरोध करते हुए प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व किया है। प्राधिकरण ने इन संस्थाओं, उनके चैनल भागीदारों, व्यापारियों, एजेंटों द्वारा के विनियमों का पालन करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों, आदि पर विचार किया। जांच के बाद, प्राधिकरण ने उन संस्थाओं को छोड़कर जिनका यूसीसी उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिन संस्थाओं के ऐसे उपायों से संतुष्ट था, वहां प्राधिकरण ने ऐसी संस्थाओं के काटे गए दूरसंचार संसाधनों को फिर से जोड़ने का आदेश दिया।

ऐसी संस्थाओं के लिए कनेक्शन की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, प्राधिकरण ने, इन विनियमों के माध्यम से, ऐसी संस्थाओं से प्रति दूरसंचार संसाधन को फिर से जोड़ने के लिए 500/– रुपए का प्रभार (अधिकतम 5,00,000 रुपए तक) लेने का निर्णय किया है। ये प्रभार अनचाही कॉलों के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ एक और शक्ति संतुलन के रूप में कार्य करेगा।

2. *''टेलीकॉम कामर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रीफरेन्स (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2014'' दिनांक 9 दिसंबर 2014*

प्राधिकरण अवांछित वाणिज्यिक संचार (अवांछित टेलीमार्केटिंग कॉल) के खतरे की रोकथाम हेतु कई कदम उठाए थे। इस प्रकार के उपाय केवल अल्फा हेडर के लिए जनादेश है, जिन्हें लेनदेन जैसे संदेश भेजने पर उत्तर देने का कोई मार्ग नहीं है। प्राधिकरण को बहुत से हितधारकों से लेनदेन के संदेश भेजने की अनुमति प्रदान करने के लिए बहुत से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि इनमें से कई एप्लीकेशनों के लिए सामाजिक नेटवर्किंग साइटों के द्विमार्गी या इंटरेक्टिव संचार की आवश्यकता होगी। प्राधिकरण ने, इस संशोधन के माध्यम से विभिन्न द्विमार्गी इंटरेक्टिव एसएमएस के आदान प्रदान को सक्षम किया है, हालांकि उपयोगकर्ताओं के लिए विभिन्न उपयोगी अनुप्रयोग 5 के उपयुक्त शीर्षक से शुरू होता है। इस संशोधन के माध्यम से, विभिन्न आईएलडीओ को भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के संदेश भेजने की अनुमति भी दी गई है।

उत्तर देने वाले मार्ग के माध्यम के लिए उपयुक्त सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु, इस प्रकार संप्रेषण के लिए वित्तीय दंडात्मक कार्यवाही सामान्य संदेश की तुलना में दोगुनी हैं।

3. *वाणिज्यिक एसएमएस के प्रेषक के लिए अल्फा–न्यूमेरिक पहचानकर्ता हेतु कोड उपलब्ध करवाने के संबंध में दिनांक 10 दिसंबर 2008 के निर्देश का संशोधन*

ग्राहकों की एसएमएस के स्रोत और मूल की पहचान करने में सहायता करने के लिए प्राधिकरण ने निर्देश दिया था कि उपलब्ध करवाए गए अल्फा–न्यूमेरिक पहचानकर्ता, को सभी वाणिज्यिक एसएमएस सेवा क्षेत्र के कोड सहित प्रेषक

पहचान के लिए भेजे जाएं। निर्देश जारी करने के बाद, कुछ सेवा प्रदाताओं ने परिचालन बंद कर दिया है और नए सेवा प्रदाताओं के लिए कोड के नये आवंटन के साथ नए सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस जारी किए गए हैं। इस संशोधन के माध्यम से सेवा प्रदाताओं लिए कोड की संशोधित सूची को अधिसूचित कर दिया गया था।

4. सिम कार्ड के सिम आवेदन उपकरण किट (एसटीके) में अंतःस्थापित गैर–सदस्यता आधारित मूल्य वर्धित सेवा उत्पादों के प्रावधान के लिए उपभोक्ताओं की स्पष्ट सहमति प्राप्त करने के लिए निर्देश

मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस) पर आधारित सदस्यता के सक्रियण की आशंका को ध्यान में रखते हुए, भादूविप्रा विनियामकों के अनुरूप डबल पुष्टि की प्रक्रिया का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था, ग्राहक स्वयं ही सिम कार्ड में विविध वीएएस सन्निहित के गलत सक्रियण के संबंध में शिकायत करना जारी रखें। निर्देश सिम कार्ड के सिम आवेदन उपकरण किट (एसटीके) में अंतर्निहित गैर–सदस्यता आधारित मूल्यवर्धित सेवा (वीएएस) उत्पादों के सक्रियण और निष्क्रियण से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने का प्रयास है। उपभोक्ता संरक्षण के एक उपाय के रूप में, सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया कि सिम में भी अंतर्निहित गैर–सदस्यता आधारित वीएएस उत्पादों को केवल उपभोक्ता की स्पष्ट सहमति प्राप्त करने के बाद ही उपभोक्ता के लिए प्रदान किया जाता है। निर्देश सेवा प्रदाताओं के लिए उपभोक्ताओं की स्पष्ट सहमति प्राप्त करने को भी परिभाषित करता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण

दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (तीसरा संशोधन) विनियम 2014 दिनांक 1 जुलाई, 2014

प्राधिकरण ने इस संशोधन के तहत ब्रॉडबैंड की निम्नलिखित परिभाषा को शामिल करने के लिए दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, 2012 के विनियम 2 का संशोधन किया:–

(च) ''ब्रॉडबैंड'' या ''ब्रॉडबैंड सेव'' से एक ऐसा डेटा कनेक्शन अभिप्रेत है, जो इंटरनेट एक्सेस सहित इंटरएक्टिव सेवाओं को समर्थ बनाने में सक्षम है और ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सेवा प्रदाता के उपस्थिति बिंदु (पीओपी) से एक वैयक्तिक ग्राहक को पांच सौ बारह किलो बिट्स प्रति सेकंड (512 केबीपीएस) की न्यूनमत डाउनलोड स्पीड प्रदान करने की क्षमता रखता है।''

इस संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपयोग करते समय अधिक तीव्र गति और बेहतर अनुभव प्राप्त हो।

उपभोक्ता भागीदारी

भादूविप्रा ने उपभोक्ता निकायों और संगठनों के पंजीकरण के लिए एक प्रक्रिया संस्थापित की है। इन संगठनों, जिन्हें उपभोक्ता समर्थक समूह (सीएजी) कहा जाता है, से आशा की जाती है कि वे भादूविप्रा की गतिविधियों में समन्वय करेंगे और उपभोक्ता प्रतिक्रियाओं को आवाज देंगे, तथा साथ ही उपभोक्ता शिक्षा में भादूविप्रा की सहयोग करेंगे।

इन विनियमों में उपभोक्ता संगठनों की भूमिका को परिभाषित किया गया है। भादूविप्रा के पास पंजीकृत प्रत्येक उपभोक्ता संगठन की प्राथमिक जिम्मेवारी होगी की वह उपभोक्ता हितों की संरक्षा और प्रसार के लिए कार्य करे।

इस वर्ष 24 अतिरिक्त सीएजी को पंजीकृत किया गया है। भादूविप्रा के पास पंजीकृत सीएजी के विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय भी इन अभिकरणों के साथ विचार–विमर्श कर रहे हैं, उनकी कार्यकलापों को समन्वित कर रहे हैं और उपभोक्ता से जुड़े मुद्दों का सेवा प्रदाताओं के साथ समाधान कर रहे हैं।

2014 में, क्षेत्रीय कार्यालयों और भादूविप्रा मुख्यालय ने पूरे भारत में विभिन्न राज्यों/नगरों/शहरों में 111 उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित की। उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम भी देशभर में 11 व्यवसायिक महाविद्यालयों में आयोजित किए गए हैं। उपभोक्ता समर्थन समूह की क्षमता निर्माण और उपभोक्ता शिक्षा को लक्षित कर लखनऊ, सूरत, शिलांग और रायपुर में 4 क्षेत्रीय कार्यशालाएं भी आयोजित की गई। भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों ने सेवा की गुणवत्ता के मुद्दों और उपभोक्ता अधिकारों को बेहतर समझने के लिए सीएजी और उपभोक्ताओं की मदद की है। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र के बारे में सूचित करने के अलावा उन्हें उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए भादूविप्रा द्वारा जारी विनियमों/आदेशों/निर्देशों के भी जानकारी दी गई। इन संपर्क कार्यक्रमों में उपभोक्ताओं के साथ इन विचार–विमर्शों के फलस्वरूप उत्पन्न हुए कई प्रणालीगत मुद्दों का समाधान किया गया है। अत्यधिक बिलिंग, सिम/वीएएस सेवाओं का सक्रियन और असक्रियन, एमएनपी, नेटवर्क से जुड़े मामले, टैरिफ, ब्रॉडबैंड के मामले और अपील प्राधिकरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण इत्यादि समाधान किए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। भादूविप्रा ने हिन्दी, अंग्रेजी और 9 क्षेत्रीय भाषाओं में दूरसंचार उपभोक्ता पुस्तिका की 54000 प्रतियां भी मुद्रित करवाई है, जिन्हें उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रमों में भाग लेने वाले उपभोक्ताओं के बीच वितरित किया गया। ये पुस्तिकाएं पंजीकृत उपभोक्ता समर्थन समूहों को भी उनके संबंधित क्षेत्रों में वितरण के लिए प्रदान की गई हैं। भादूविप्रा ने वीएएस/यूसीसी पर हिन्दी, अंग्रेजी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो लघु–गीत (जिंगल्स) भी तैयार किए हैं जिन्हें जून, जुलाई, अगस्त और अक्तूबर, 2014 के महीनों में एक सप्ताह के लिए देशभर के 84 नगरों में विभिन्न एफएम चैनलों पर प्रसारित किया गया।

II. सिफारिशें

स्पेक्ट्रम, लाइसेंसिंग, दूरसंचार हेतु सार्वभौमिक पहुंच, पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टैबिलिटी, समायोजित सकल राजस्व, एफएम रेडियो, डायरेक्ट टू होम, मीडिया स्वामित्व, सामुदायिक रेडियो, प्लेटफार्म सेवाएं।

बाजार संरचना और इस क्षेत्र में नए ऑपरेटरों के प्रवेश, लाइसेंसिंग संरचना और दुर्लभ संसाधनों, जैसे स्पेक्ट्रम का प्रबंधन, सुदूर क्षेत्रों में और अल्पसेवा प्राप्त जनता हेतु दूरसंचार विकास, उपभोक्ता संरक्षा और सुरक्षा सहित विविध विषयों पर सरकार को सिफारिशें की गईं। इस अधिदेश के अंतर्गत, भादूविप्रा ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों पर कार्रवाई कीः–

स्पेक्ट्रम

1. स्पेक्ट्रम व्यापार के लिए कार्यशील दिशानिर्देशों संबंधी सिफारिशें, दिनांक 28 जनवरी, 2014

कालावधि में नीलामी स्पेक्ट्रम आबंटन की सुस्वीकृत पद्धति बनकर उभरी है। तथापि, स्पेक्ट्रम बहुत लम्बी कालावधि के लिए आबंटित किया जाता है। यह संभव है कि कोई टीएसपी, जिसने किसी नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम खरीदा है, इस व्यापार को आगे करने में रूचि नहीं रखता हो और अब इसे छोड़ना चाहता हो। इसी प्रकार यह भी संभव है कि किसी टीएसपी के पास उसकी वास्तविक आवश्यकता से अधिक स्पेक्ट्रम हो, जहां अन्य एक नए प्रवेशक के रूप में अथवा अपनी विद्यमान होल्डिंग के अनुपूरण हेतु स्पेक्ट्रम खरीदना चाहते हो। भारत में टीएसपी की औसत स्पेक्ट्रम होल्डिंग अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की तुलना में कम है और विखंडित स्पेक्ट्रम होल्डिंग के समेकन की अत्यावश्यकता है।

स्पेक्ट्रम व्यापार के माध्यम से वर्तमान प्रयोक्ता द्वारा स्वेच्छा से स्पेक्ट्रम उपयोग करने के अधिकार की अपनी कुल होल्डिंग को पूर्णतः अथवा इसके किसी अंश को मौद्रिक लाभों को प्राप्त करने के बदले हस्तांतरित कर दिया जाता है। स्पेक्ट्रम व्यापार स्पेक्ट्रम आवश्यकता के प्रबंधन में लचीलापन प्रदान करता है और स्पेक्ट्रम होल्डिंग के समेकन के माध्यम से स्पेक्ट्रम के इष्टतम उपयोग को संभव बनाता है।

9 सितंबर, 2013 को प्राधिकरण ने 'स्पेक्ट्रम के मूल्यांकन और आरक्षित कीमत' के संबंध में दूरसंचार विभाग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि देश में स्पेक्ट्रम व्यापार की अनुमति दी जानी चाहिए। दूरसंचार विभाग ने दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 के अपने पत्र के माध्यम से स्पेक्ट्रम व्यापार के संबंध में भादूविप्रा की सिफारिशों को अपना सैद्धांतिक अनुमोदन दिए जाने की सूचना दी थी। तत्पश्चात, प्राधिकरण ने स्पेक्ट्रम व्यापार संबंधी कार्यशील दिशानिर्देश तैयार करने हेतु एक संचालन समिति गठित की।

संचालन समिति द्वारा किए गए विचारों के आधार पर, प्राधिकरण ने दिनांक 28 जनवरी, 2014 को स्पेक्ट्रम व्यापार संबंधी कार्यशील दिशानिर्देश के संबंध में अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप प्रदान किया। सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैंः–

(i) स्पेक्ट्रम व्यापार के अंतर्गत, स्पेक्ट्रम के केवल प्रत्यक्ष हस्तांतरण की अनुमति है, अर्थात् उपयोग अधिकार का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित किया जाता है। इस समय, स्पेक्ट्रम का पट्टा दिए जाने की अनुमति नहीं है।

(ii) स्पेक्ट्रम व्यापार स्पेक्ट्रम समनुदेशन की मूल वैधता अवधि में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

(iii) वर्तमान में, स्पेक्ट्रम व्यापार की केवल पैन–एलएसए (लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र) आधार पर अनुमति होगी, अर्थात एलएसए के किसी एक हिस्से के लिए स्पेक्ट्रम का व्यापार नहीं किया जा सकता है।

(iv) विक्रेता और क्रेता को व्यापार की प्रभावी तारीख से 6 सप्ताह पहले, स्पेक्ट्रम व्यापार के संबंध में लाइसेंस दाता को सूचित करना होगा। हालांकि, स्पेक्ट्रम व्यापार के लिए लाइसेंस–दाता/सरकार से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

(v) लाइसेंस दाता द्वारा एक्सेस सेवाओं के लिए निर्धारित सभी स्पेक्ट्रम बैंडों को व्यापार–योग्य स्पेक्ट्रम बैंड माना जाएगा। वर्तमान में, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम बैंड एक्सेस सेवाओं के लिए आबंटित किए गए हैं।

(vi) लाइसेंस धारक अपने स्पेक्ट्रम का केवल तभी व्यापार कर सकता है, जब एक एलएसए के भीतर किसी खास स्पेक्ट्रम बैंड में लाइसेंस धारक द्वारा धारित सम्पूर्ण स्पेक्ट्रम वर्ष 2010 में या उसके बाद नीलामी के माध्यम से प्राप्त किया गया हो अथवा जिस पर इसने पहले ही सरकार को निर्धारित बाजार मूल्य (जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा) का भुगतान कर दिया हो।

(vii) किसी टीएसपी को ऐसे स्पेक्ट्रम बैंड में, जिसमें इसने कोई स्पेक्ट्रम इसके हस्तांतरण की प्रभावी तारीख (अथवा सौंपे जाने की प्रभावी तारीख) से 2 वर्ष की अवधि के लिए व्यापार (अथवा नीलामी) के माध्यम से हासिल किया हो, स्पेक्ट्रम के व्यापार की अनुमति नहीं होगी, अर्थात टीएसपी को स्पेक्ट्रम हासिस करने की तारीख से कम से कम दो वर्षों तक उस स्पेक्ट्रम को अपने पास रखने की अपेक्षा है।

2. *800 मेगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आरक्षित कीमत के संबंध में सिफारिशें, दिनांक 22 फरवरी, 2014*

सभी सेवा क्षेत्रों में 800 मेगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए लागू आरक्षित कीमत के संबंध में सिफारिशें प्राप्त करने के लिए दूरसंचार विभाग के दिनांक 12 दिसंबर, 2013 के संदर्भ के संबंध में, भादूविप्रा ने हितधारकों के विचारार्थ विशिष्ट मुद्दे उठाते हुए ''स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन और आरक्षित कीमत'' के संबंध में 30 दिसंबर, 2013 को एक परामर्श पत्र जारी किया।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने और आगे और विश्लेषण करने के बाद, प्राधिकरण ने दिनांक 22 फरवरी, 2014 को ''800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आरक्षित कीमत'' के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

(i) 800 मेगाहर्ट्ज में दूरसंचार विभाग के पास उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए रख दिए जाने चाहिए।

(ii) 800 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम को 1.25 मेगाहर्ट्ज के ब्लॉक आकार में नीलाम किया जाना चाहिए।

(iii) नीलामी से पहले कम से कम संसक्त 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का एक खंड (अर्थात 4 कैरियर) तैयार किया जाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो, तो कम से कम 4 संसक्त कैरियरों को उपलब्ध कराने के लिए 800 मेगाहर्ट्ज में विद्यमान टीएसपी के बीच कैरियर का पुनःआबंटन किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, नीलामी के लिए एनआईए स्पष्टतया निर्धारित कर सकती है कि 5 मेगाहर्ट्ज के केवल संसक्त ब्लॉकों का विक्रय किया जाएगा। तथापि, जब नीलामी प्रक्रियाधीन हो, फ्रीक्वेन्सियों के रीकॉन्फिगरेशन तैयार कर लिए जाने चाहिए ताकि नीलामी के पूरा होने पर पुनःआबंटन किया जाना संभव हो।

(iv) एक नए प्रवेशक को, अर्थात ऐसा टीएसपी जो 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में कोई स्पेक्ट्रम होल्डिंग नहीं रखता है, न्यूनतम 4 कैरियरों के लिए बोली लगानी चाहिए। यद्यपि, एक विद्यमान टीएसपी अर्थात् 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में कुछ स्पेक्ट्रम होल्डिंग रखने वाले टीएसपी को स्पेक्ट्रम के न्यूनतम 1 ब्लॉक के लिए बोली लगानी की अनुमति होनी चाहिए। नए प्रवेशक को केवल निर्धारित सन्निहित कैरियर ही सौंपे जाने चाहिए।

सिफारिशों में उन विभिन्न पद्धतियों की चर्चा की गई है जिन्हें 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के मूल्य–निर्धारण करने के लिए उपयोग किया गया। प्राधिकरण ने स्पेक्ट्रम के मूल्य–निर्धारण के आधार पर 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की आरक्षित कीमतों की सिफारिश की।

3. *'स्पेक्ट्रम साझाकरण संबंधी दिशानिर्देश' से संबंधित सिफारिशें दिनांक 21 जुलाई, 2014*

भारत में, एक लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) में 7–13 लाइसेंसधारक (2जी, 3जी और बीडब्ल्यूए) हैं, जो किसी भी वैश्विक मानदंड के अनुसार बहुत बड़ी संख्या है। परिणामतः, प्रति टीएसपी स्पेक्ट्रम होल्डिंग छोटी और दुर्बल (निम्न दक्षता) उपयोग के रूप में होता है। स्पेक्ट्रम साझाकरण का मूलभूत उद्देश्य टीएसपी को अपनी स्पेक्ट्रम होल्डिंग को समेकित (पूल) करने का अवसर प्रदान करना और इसके माध्यम से स्पेक्ट्रम की कार्यदक्षता में सुधार करना है। साझाकरण से ऐसे स्थानों पर अतिरिक्त नेटवर्क क्षमताएं भी प्राप्त हो सकती हैं जहां किसी स्पेक्ट्रम अत्याभाव के कारण नेटवर्क पर भारी बोझ है।

स्पेक्ट्रम की मात्रा के साथ स्पेक्ट्रम कार्यदक्षता में वृद्धि (गेन) अरैखिक रूप से बढ़ती है। वर्तमान में, स्पेक्ट्रम साझाकरण की भारत में अनुमति नहीं है। फरवरी, 2014 में, प्राधिकरण ने स्पेक्ट्रम साझाकरण संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने के लिए भादुविप्रा के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी टीएसपी के प्रतिनिधियों वाली एक संचालन समिति का गठन किया था। प्राधिकरण ने, दिनांक 21 जुलाई, 2014 को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप प्रदान किया और उन्हें अग्रेषित किया, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

(i) स्पेक्ट्रम साझाकरण से तात्पर्य किसी एलएसए में, दो एक्सेस लाइसेंसधारकों (सीएमटी/यूएएसएल/यूएल(एएस)/यूएल) के बीच ऐसी व्यवस्था से हैं जिसमें समान बैंड में एक्सेस स्पेक्ट्रम रखने वाले दोनों लाइसेंसधारक एक साझा रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) का उपयोग करते हुए, एक साथ अपने उपयोग के लिए उस एलएसए में अपने संबंधित स्पेक्ट्रम को पूल करते हैं। साझा किया गया आरएएन प्रत्येक

लाइसेंसधारक के मुख्य नेटवर्कों से जुड़ा होगा। दोनों लाइसेंसधारक अपने स्वयं के स्पेक्ट्रम पर अपना प्राथमिक अधिकार बनाए रखेंगे।

(ii) स्पेक्ट्रम साझाकरण का मूलभूत उद्देश्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को स्पेक्ट्रम दक्षता बढ़ाने के लिए अपने स्पेक्ट्रम होल्डिंग को पूल करने का अवसर प्रदान करना है। स्पेक्ट्रम साझाकरण में दोनों टीएसपी द्वारा स्पेक्ट्रम का उपयोग शामिल होगा। स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने की अनुमति नहीं है।

(iii) सभी एक्सेस स्पेक्ट्रम अर्थात 800/900/1800/2100/2300/2500 मेगाहर्ट्ज के बैंडों में स्पेक्ट्रम साझा किए जाने योग्य होंगे बशर्ते दोनों लाइसेंस धारक समान बैंड में स्पेक्ट्रम रखते हों।

(iv) अपने स्पेक्ट्रम को साझा करने के इच्छुक दोनों लाइसेंसधारक स्पेक्ट्रम साझाकरण करार करते समय लाइसेंस दाता को सूचित करेंगे।

(v) वर्तमान में, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में प्रशासनिक रूप से आबंटित स्पेक्ट्रम रखने वाले कई लाइसेंसधारक हैं। यदि अपने स्पेक्ट्रम को साझा करने वाला कोई भी एक अथवा दोनों लाइसेंसधारक उस बैंड में प्रशासनिक रूप से आबंटित स्पेक्ट्रम रखते हैं, तो साझाकरण के बाद, उन्हें केवल वे सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी जो प्रशासनिक रूप से धारित स्पेक्ट्रम के माध्यम से प्रदान की जा सकती हैं।

(vi) यदि दोनों लाइसेंस किसी बैंड में स्पेक्ट्रम को साझा कर रहे हों, जिसमें वही स्पेक्ट्रम हैं, जिसे वर्ष 2010 अथवा इसके पश्चात की नीलामी द्वारा प्राप्त किया गया था अथवा जिस पर लाइसेंसधारक ने पहले से ही निर्धारित बाजार मूल्य (जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर तय किया गया हो), सरकार को दे रखा हो, तो वे उन सभी तकनीकों (नामित जीएसएम, सीडीएमए, डब्ल्यूसीडीएमए, एलटीई आदि) का प्रयोग करके सेवाओं की पेशकश कर सकते हैं जो वे अपने स्पेक्ट्रम स्वामित्व के द्वारा स्वतंत्र रूप से उपलब्ध करवा सकते हैं।

(vii) स्पेक्ट्रम साझाकरण केवल दो लाइसेंसधारकों द्वारा साझा किए जाने तक सीमित होगा, जो इस शर्त के अध्यधीन होगा कि समान बैंड में कम से कम दो स्वतंत्र नेटवर्क दिए गए हों।

4. *'माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) आरएफ कैरियरों के आबंटन और कीमत–निर्धारण' संबंधी सिफारिशें दिनांक 29 अगस्त, 2014*

मोबाइल बैकहॉल नेटवर्क का अभिन्न अंग है, जो सेल साइट बेस ट्रांसिवर स्टेशन (बीटीएस) को बेस स्टेशन कंट्रोलर (बीएससी) से जोड़ता है। नए मल्टीमीडिया एप्लिकेशनों (इमेज, वीडियो इत्यादि) के बढ़ते उपयोग के कारण तृतीय और चतुर्थ पीढ़ी (3जी/4जी) की बेतार मोबाइल प्रणालियों का प्रसार बढ़ता जा रहा है। 3जी/4जी नेटवर्कों की आंकड़ा अंतरण क्षमताएं सीधे तौर पर बैकहॉल नेटवर्क की क्षमता पर निर्भर करती है। अतः, भविष्य में मोबाइल बैकहॉल

क्षमता की आवश्यकता के तेजी से बढ़ने की आशा है। बैकहॉल ताम्र तार, ऑप्टिकल फाइबर और माइक्रोवेव (एम डब्ल्यू) के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। चूंकि माइक्रोवेव अधिक सस्ता, मापनीय और अत्यधिक विश्वसनीय विकल्प होता है, देश में यह अभिभावी बैकहॉल प्रौद्योगिकी है। कतिपय ग्रामीण और दूर–दराज के स्थानों में, माइक्रोवेव ही एकमात्र व्यावहारिक उच्च–क्षमता वाला बैकहॉल समाधान उपलब्ध है। अतः, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि टीएसपी को एक युक्तिसंगत मूल्य पर पर्याप्त माइक्रोवेव बैकहॉल कैरियर उपलब्ध कराए जाएं।

एमडब्लयू कैरियरों के आबंटन और कीमत–निर्धारण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर दूरसंचार विभाग से प्राप्त विशिष्ट संदर्भ पर, भादूविप्रा ने दिनांक 28 मार्च, 2014 को एक परामर्श पत्र जारी किया। प्राधिकरण ने 'माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) आरएफ कैरियरों के आबंटन और कीमत–निर्धारण' संबंधी अपनी सिफारिशें दिनांक 29 अगस्त, 2014 को प्रेषित की। इन सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

(i) टीएसपी को आबंटित किए जा सकने वाले एमडब्ल्यूए कैरियरों की संख्या के संबंध में अधिकतम सीमा तय की जानी चाहिए। टीएसपी को उनके अनुरोध के अनुसार एमडब्ल्यूए कैरियरों आबंटित किए जाने चाहिए जहां तक कि यह अधिकतम सीमा के भीतर हो।

(ii) एमडब्ल्यूए एक्सेस कैरियर (बैकहॉल कैरियरों) का आबंटन सम्पूर्ण लाइसेंस सेवा के लिए एक विशिष्ट आधार पर किया जाना चाहिए जबकि एमडब्ल्यू बैकबोन कैरियर (जिनका उपयोग लम्बी दूरी के अंतर्नगरीय सम्पर्कों के लिए होता है) का आबंटन लिंक–से–लिंक आधार पर किया जाना चाहिए।

(iii) वर्तमान में, माइक्रोवेव एक्सेस कैरियर 13 गीगाहर्ट्ज, 15 गीगाहर्ट्ज, 18 गीगाहर्ट्ज और 21 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंडों में आबंटित किए जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए उच्चतर आवृत्ति बैंड अर्थात् 26/28/32/38/42 गीगाहर्ट्ज को भी निर्धारित किया जाना चाहिए।

(iv) एमडब्ल्यू एक्सेस कैरियरों के लिए प्रतिशत एजीआर पर आधारित विद्यमान स्पेक्ट्रम प्रभार तंत्र जारी रहना चाहिए। हालांकि, भिन्न–भिन्न स्पेक्ट्रम बैंडों के लिए भिन्न–भिन्न दरें प्रभारित करनी चाहिए। 13/15, 18/21, 26/28/32 और 38/42 गीगाहर्ट्ज बैंडों में एमडब्ल्यूए कैरियरों के लिए प्रभार प्रति कैरियर क्रमशः एजीआर का 0.17%, 0.12%, 0.1% और 0.07% होना चाहिए।

(v) एमडब्ल्यूबी कैरियरों के लिए प्रभार 13900 रूपये प्रति कि.मी. प्रतिवर्ष प्रति कैरियर की दर से लिंक–टू–लिंक आधार पर लिया जाना चाहिए।

(vi) भारत में ब्रॉडबैंक के विस्तार को बढ़ाने के लिए, 60 गीगाहर्ट्ज बैंड (जिसे वी बैंड के रूप में जाना जाता है) और 70 गीगाहर्ट्ज बैंड (जिसे ई बैंड के रूप में जाना जाता है) में उच्च क्षमता बैकहॉल के उपयोग को 'लाइट टच रेग्यूलेशन' से खोला जाना चाहिए और आबंटन लिंक–से–लिंक आधार पर किया जाना चाहिए।

5. *'स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन और आरक्षित कीमतः 2015–16 में समाप्त हो रहे लाइसेंस' संबंधी सिफारिशें दिनांक 15 अक्तूबर, 2014*

एक्सेस लाइसेंस (सीएमटी/यूएएस), जो 1995/96 में प्रदान किए गए थे, 2015/16 के दौरान समाप्त होने वाले हैं। इस संदर्भ में, दूरसंचार विभाग ने 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंडों में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए सभी सेवा क्षेत्रा (एलएसए)हेतु लागू आरक्षित कीमत पर प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी। हितधारकों से सम्यक परामर्श और आंतरिक विश्लेषण के बाद, प्राधिकरण ने 'स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन और आरक्षित कीमतः 2015–16 में समाप्त हो रहे लाइसेंस' संबंधी अपनी सिफारिशें दिनांक 15 अक्तूबर, 2014 को दूरसंचार विभाग को प्रेषित कीं।

इन सिफारिशों में, प्राधिकरण ने उन टीएसपी के लिए, जिनके लाइसेंस 2015–16 में समाप्त होने वाले हैं, आगामी नीलामी के महत्व पर जोर दिया है। 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में, केवल उनके द्वारा धारित स्पेक्ट्रम ही नीलामी के लिए उपलब्ध है। इन लाइसेंसधारकों को एक एलएसए ने व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इस स्पेक्ट्रम को पुनः प्राप्त करना होगा, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो इससे उनके द्वारा किया गया बड़ा निवेश खतरे में पड़ जाएगा। लाखों उपभोक्ताओं को प्राप्त सेवाओं की निरंतरता भी जोखिम में है। इस पृष्ठभूमि में, प्राधिकरण ने नीलामी करने से पहले अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। इन सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:–

(i) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी)–2012 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित उद्देश्य तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम उपलब्धता की आपूर्ति में सुधार करने के लिए पिछले दशक के दौरान प्राधिकरण द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के बावजूद, डीओटी/डब्लयूपीसी[1] दूरसंचार क्षेत्र की व्यवस्थित प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए स्पेक्ट्रम की आपूर्ति बढ़ाने हेतु एक रोडमैप तैयार करने हेतु अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठा सका है। अतः, प्राधिकरण ने वाणिज्यिक उपयोग के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और रक्षा मंत्री के स्तर पर एक अत्यावश्यक संवाद की जरूरत पर जोर दिया है।

(ii) प्राधिकरण ने यह भी सिफारिश की है कि, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। सुझाए गए उपायों में, बीएसएनएल से 900 मेगाहर्ट्ज में 1–2 मेगाहर्ट्ज को वापस लिया जाना, ई–जीएसएम बैंड सॉल्यूशन को कार्यान्वित करना, रक्षा उद्देश्य के लिए निर्धारित परंतु 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में निष्क्रिय पड़े स्पेक्ट्रम का उपयोग करना और रक्षा मंत्रालय द्वारा 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की रिक्तता।

(iii) 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंडों में स्पेक्ट्रम की एक साथ नीलामी करनी चाहिए।

(iv) सरकार को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए रूपरेखा की घोषणा करनी चाहिए। इसे 900/1800 मेगाहर्ट्ज में आगामी नीलामियों को आयोजित करने से पहले किया जाना चाहिए ताकि टीएसपी नीलामी में उनकी भागीदारी के संबंध में सूचनायुक्त निर्णय ले सकें।

[1] दूरसंचार विभाग का वायरलैस योजना एवं समन्वय विंग

(v) रक्षा संगठन से 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम और बीएसएनएल से 900 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम को खाली कराने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा उपलब्ध होने के बाद ही नीलामी की जानी चाहिए।

(vi) प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए आपूर्ति समस्याओं का समाधान किए बिना नीलामी किए जाने के हानिकर परिणामों को रेखांकित किया। इस पृष्ठभूमि में, प्राधिकरण ने उपर्युक्त मुद्दे का निराकरण करने के पश्चात् आगामी नीलामी के समय का पुनर्निर्धारण करने की सिफारिश की।

(vii) उपलब्ध स्पेक्ट्रम की मात्रा न केवल बहुत छोटी है बल्कि बहुत विखंडित भी है। संसक्त स्पेक्ट्रम की अनुपलब्धता नई प्रौद्योगिकियों की तैनाती में एक बड़ी बाधा है। अतः प्राधिकरण अपनी सिफारिश को दोहराता है कि लाइसेंसधारकों को किए गए आबंटनों के भीतर से, समान बैंड में सभी लाइसेंसधारकों के बीच आवृत्ति पुनर्समायोजन की अनुमति होनी चाहिए, चाहे स्पेक्ट्रम उदारीकृत हो या नहीं। तथापि, स्पेक्ट्रम के उपयोग का उदारीकरण केवल तभी किया जाएगा जब किसी खास बैंड में किसी लाइसेंसधारक की सम्पूर्ण स्पेक्ट्रम होल्डिंग उदारीकृत हो।

(viii) स्पेक्ट्रम को संसक्त स्वरूप में उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने दर्शाया है कि 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में 7 एलएसए में ऐसी संसक्तता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। इसके बावजूद, सम्पूर्ण उपलब्ध स्पेक्ट्रम को नीलामी के लिए रखना चाहिए।

6. "स्पेक्ट्रम : 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड का मूल्य निर्धारण और आरक्षित कीमत" संबंधी सिफारिश

"स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण और आरक्षित कीमतः 2015–16 में समाप्त हो रहे लाइसेंस" संबंधी अपनी दिनांक 15 अक्तूबर, 2015 की सिफारिशों में प्राधिकरण ने सिफारिश की कि 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में नीलामियां 900/1800 मेगाहर्टज बैंड में होने वाली नीलामियों के साथ की जानी चाहिए। दूरसंचार विभाग ने दिनांक 16 अक्तूबर, 2014 के पत्र के माध्यम से 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार की नीलामी के लिए आरक्षित कीमत के संबंध में प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी। बाद में, 27 नवंबर, 2014 को, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड की आरक्षित कीमत और संबंधित मुद्दों के संबंध में अपनी सिफारिशों के लिए प्रक्रिया को तीव्र करने का अनुरोध किया ताकि इस बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी फरवरी 2015 में निर्धारित 800/900/1800 मेगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम की नीलामी के साथ की जा सकती है।

प्राधिकरण ने, 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड की आरक्षित कीमत के संबंध में इसकी सिफारिशों के लिए प्रक्रिया को त्वरित करने के दूरसंचार विभाग के अनुरोध पर विचार करते हुए दिनांक 2 दिसंबर, 2014 को **"स्पेक्ट्रमः 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड का मूल्य निर्धारण और आरक्षित कीमत"** के संबंध में परामर्श पत्र जारी किया, जो केवल 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड से संबंधित मुद्दों तक ही सीमित था। बाद में, प्राधिकरण ने **"स्पेक्ट्रमः 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड का मूल्य निर्धारण और आरक्षित कीमत"** के संबंध में दिनांक 31 दिसंबर, 2014 को सरकार को अपनी सिफारिशें भेजी। सिफारिशों में उन विभिन्न पद्धतियों की चर्चा की गई है, जिन्हें 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम का मूल्य–निर्धारण करने और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की आरक्षित कीमतों के निर्धारण के लिए उपयोग किया गया है।

लाइसेंसिंग

12 मई 2014 को 'इनमारसैट/सेटलाइट फोन सेवाओं' पर संस्तुति

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 13 दिसंबर 2013 के अपने पत्र के माध्यम से 'एकीकृत लाइसेंस जीएमपीसीएस प्राधिकृति के तहत' या एकीकृत लाइसेंस के तहत एक और प्राधिकृति की तैयारी और इनमारसैट सेवाओं सहित औचित्य और व्यावहारिकता पर भादूविप्रा की सिफारिशों की मांग की। प्राधिकरण ने 12 मई 2014 को इस विवाद की सिफारिशों को सूचित और अग्रेषित किया गया। सिफारिशों का तात्पर्य इस प्रकार है:

(i) दूरसंचार विभाग बीएसएनएल को *'सुई जेनेरिस'* श्रेणी के तहत तुरंत गेटवे स्थापित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(ii) दूरसंचार विभाग इस तरह के प्राधिकृति के लिए प्रवेश शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क और पीबीजी की छूट के लिए बीएसएनएल के अनुरोध पर विचार कर सकता है।

(iii) इस तरह की सेवाओं के लिए एजीआर का 8 प्रतिशत लाइसेंस शुल्क के रूप में लगाया जा सकता है।

दूरसंचार के लिए सार्वभौमिक पहुंच

22 जुलाई 2014 को 'अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (एएनआई) और लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं के सुधार' पर संस्तुति

दूरसंचार विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप (एएनआई) और लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं में सुधार के लिए एक व्यापक योजना पर भादूविप्रा की सिफारिश की मांग की थी और इन द्वीपों में दूरसंचार सेवाएं में गुणवत्ता प्रदान करने के लिए आवश्यक निवेश का आकलन भी किया।

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के प्रशासन के अधिकारियों और क्षेत्र में सक्रिय टीएसपी सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया।

प्राधिकरण ने इन द्वीपों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार के लिए लगभग 2278 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के साथ एक व्यापक दूरसंचार योजना की सिफारिश की यानी लगभग 1773 करोड़ रुपए अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए और लगभग 505 करोड़ रुपए लक्षद्वीप के लिए।

मांग पर ब्रॉडबैंड' उपलब्ध कराने की एनटीपी–2012 की नीति के साथ लाइन में ब्रॉडबैंड और ई–गवर्नेंस सेवाओं के लिए पर्याप्त बैंडविड्थ प्रदान करना प्रगति पर है और क्षेत्र का न्यायसंगत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण ने निम्नलिखित सिफारिश की :–

पनडुब्बी केबल के माध्यम से चेन्नई से एएनआई के 6 प्रमुख द्वीपों को संयोजित करने की संभव प्रक्रिया एकल चरण में जल्द से जल्द स्थापित की जानी चाहिए। चेन्नई के साथ निर्धारित कनेक्टिविटी के अलावा, पनडुब्बी केबल के

माध्यम से एएनआई से कोलकता की कनेक्टिविटी भी की जानी चाहिए। लक्षद्वीप के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, पनडुब्बी केबल के माध्यम से सुरक्षित और विश्वसनीय कनेक्टिविटी स्थापित की जानी चाहिए। इस प्रकार से लक्षद्वीप के प्रमुख द्वीपों के साथ कोचीन को संयोजित किया जाना चाहिए।

प्राधिकरण ने एएनआई और लक्षद्वीप में दूरसंचार विकास की सुविधा के लिए निम्नलिखित नीतिगत पहलों की सिफारिश की :–

(i) इन द्वीपों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक सेटलाइट बैंडविड्थ लेने के लिए शुल्क पूरी तरह से यूएसओएफ द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

(ii) जीसैट–16 में, सी–बैंड के कम से कम छह ट्रांसपोंडर विशेष रूप से एएनआई और लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल को आवंटित किया जा सकता है।

(iii) बीएसएनएल को विदेशी सेटलाइटों से सीधे सेटलाइट बैंडविड्थ जो इसरो समन्वित कक्षाओं पर हैं, लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(iv) दूरसंचार के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए बीएसएनएल/टीएसपी को केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा भूमि और आवश्यक अनुमतियों के आवंटन में प्राथमिकता देनी चाहिए।

पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी

पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी' के लिए एमएनपी लाइसेंसधारकों के लिए अतिरिक्त शुल्क और बैंक गारंटियों के संबंध में भादूविप्रा की दिनांक 21 जुलाई, 2014 की राय

'एक राष्ट्र – पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी' के सबंध में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार, भादूविप्रा ने 27 दिसंबर, 2012 को दूरसंचार विभाग से एक संदर्भ प्राप्त किया, जिसमे देश भर में पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लागू करने के लिए भादूविप्रा की सिफारिशों की मांग की गई। हितधारकों के साथ परामर्श और विभिन्न मुद्दों के परीक्षण के बाद, प्राधिकरण ने 25 सितंबर, 2013 को दूरसंचार विभाग को 'पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी' पर अपनी सिफारिशें दे दी थीं। इन सिफारिशों ने अंतर्सेवा क्षेत्र एमएनपी के कार्यान्वयन के लिए एक तकनीकी समाधान प्रदान किया जिसके द्वारा एक उपभोक्ता एक सेवा क्षेत्र से दूसरे में अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट कराने में सक्षम होगा।

एमएनपी एक केन्द्रीय स्वीकृति कार्यालय और दोनों एमएनपी सेवा प्रदाताओं द्वारा रखे जाने वाले नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। 2 जुलाई, 2014 को दूरसंचार विभाग ने पूर्ण मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के संबंध में भादूविप्रा की सिफारिशों की सैद्धांतिक स्वीकृति से अवगत कराया और पूर्ण मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन के कारण उनके लाइसेंस के दायरे में वृद्धि के मद्देनजर अतिरिक्त प्रवेश शुल्क, कार्यप्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) और वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) के लिए मौजूदा लाइसेंसधारियों से चार्ज लिए जाने के लिए भादूविप्रा से अपनी राय देने का अनुरोध किया।

प्राधिकरण ने मुद्दों का परीक्षण करने के बाद उनको अंतिम रूप दिया और 21 जुलाई 2014 को अपना उत्तर प्रदान किया। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

(i) पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लागू करने के लिए एमएनपी सेवा प्रदाताओं के लिए प्रवेश शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं है।

(ii) एमएनपी सेवा प्रदाताओं के लिए कार्यप्रदर्शन बैंक गारंटी और वित्तीय बैंक गारंटी मौजूदा लाइसेंस शर्तों के अनुसार जारी रखा जाना चाहिए।

आईएसपी लाइसेंस करार में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर)

1 मई 2014 को 'इंटरनेट सेवाओं के प्रावधान और न्यूनतम प्रकल्पित एजीआर के लिए लाइसेंस समझौतों में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा' पर संस्तुति

दूरसंचार विभाग (डीओटी) के पत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2012 ने भादूविप्रा की सिफारिशों की मांग इन पर की (i) 1998, 2002 और 2007 के दिशानिर्देशों में इंटरनेट सेवाओं के प्रावधान के लिए आईएसपी लाइसेंस समझौतों में एजीआर की परिभाषा (ii) इंटरनेट सेवा के तहत बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम धारकों के लिए न्यूनतम प्रकल्पित एजीआर और मूल्य, यदि लागू हो, की प्रयोज्यता और (iii) 'राजस्व और लाइसेंस शुल्क के विवरण के प्रारूप' में संशोधन को इंटरनेट सेवा लाइसेंसधारियों की विभिन्न श्रेणियों के द्वारा सूचित किया जाना है।

परामर्श और मुद्दों के विश्लेषण के बाद, प्राधिकरण ने निष्कर्ष दिया कि सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए एक सरल और स्पष्ट लाइसेंसिंग संरचना प्रदान करने के उद्देश्य से एक एकीकृत लाइसेंस लागू करने का तर्कसंगत कदम उठाने के बाद, एजीआर और लाइसेंस शुल्क की परिभाषा अन्य दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंसो के समतुल्य आईएसपी लाइसेंसों के लिए एकसमान रूप से लागू होनी चाहिए। यह विचार विभिन्न पूर्व अवसरों पर प्राधिकरण की सिफारिशों के अनुरूप है कि विनियामक संरचना निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए और लाइसेंस के किसी भी निबंधन और शर्तों के दुरूपयोग को रोकने के लिए सभी लाइसेंसधारकों हेतु एक समान स्तर सुनिश्चित करना चाहिए। प्राधिकरण ने 1 मई, 2014 को दूरसंचार विभाग को अपनी सिफारिशें प्रेषित की। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) एजीआर की 8 प्रतिशत समरूप लाइसेंस शुल्क सभी आईएसपी लाइसेंस के लिए लागू होगा। आईएसपी लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क के प्रयोजन के लिए राजस्व में, किसी भी सेट–ऑफ खर्च के बिना, इंटरनेट सेवाओं के सभी प्रकार के खर्च शामिल होंगे, उपयोग सेवाओं के मामले में केवल उन उपलब्ध कटौतियों के शुल्क और करों/उगाही के माध्यम से पारित होगा।

(ii) लाइसेंस शुल्क के प्रयोजन के लिए न्यूनतम प्रकल्पित एजीआर प्रतिस्पर्धी बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम मौजूदा आईएसपी धारकों पर लागू होगा जो लाइसेंसधारियों के लिए लागू है जिन्होंने एक्सेस स्पेक्ट्रम को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्राप्त किया था।

(iii) 2010 की नीलामी से बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम धारण कर रहे मौजूदा आईएसपी के लिए, प्रकल्पित एजीआर के मूल्य संबंधित सेवा क्षेत्र के लाइसेंसधारी द्वारा कुल बोली की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर होगा, ये उन लाइसेंसधारियों पर लागू होगा जिन्होने नवंबर 2012 और मार्च 2013 में आयोजित नीलामी में स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था।

एफएम रेडियो

''एफएम प्रसारण सेवाओं का चरण दो से चरण तीन में स्थानांतरण की सिफारिशें

एमआईबी ने एफएम रेडियो प्रसारण के चरण–2 से चरण–3 में विद्यमान एफएम ऑपरेटरों के स्थानांतरण पर उनसे लिए जाने वाले स्थानांतरण शुल्क की राशि के संबंध में सिफारिशों की मांग करते हुए भादूविप्रा को एक संदर्भ भेजा। एमआईबी द्वारा 2005–2009 की अवधि के दौरान 86 नगरों में चरण–2 के अनुसार एफएम रेडियो के प्रचालन की अनुमति प्रदान की गई। चरण–2 की नीति के अनुसार, प्रत्येक एफएम रेडियो प्रचालक को 10 वर्षों की अवधि के लिए अनुमतियां प्रदान की गई और चरण–2 नीति में अनुमति के विस्तार का कोई उपबंध नहीं है। अतः, 31–03–2015 से चरण–2 की अनुमतियां समाप्त होने लगेंगी। विद्यमान ऑपरेटर के लिए स्थानांतरण शुल्क देने और चरण–2 अनुमतियों की शेष अवधि में केवल चरण–3 नीति के अनुसार प्रचालन करने के लिए कोई बड़ा प्रोत्साहन नहीं है। तदनुसार, प्राधिकरण ने "चरण–2 से चरण –3 में एफएम रेडियो प्रसारणकर्ताओं का स्थानांतरण" विषय पर दिनांक 20–02–2014 की अपनी सिफारिशों में चरण–2 से चरण–3 में स्थानांतरण के बाद 15 वर्षों की अनुमति–अवधि की सिफारिश की। ''एफएम प्रसारण सेवाओं को चरण दो से चरण तीन में स्थानांतरण'' की सिफारिश को 20 फरवरी 2014 को जारी किया गया था। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :–

(i) न्यूनतम चैलन स्पेसिंग 400 किलोहर्ट्ज के तहत एफएम प्रसारण के लिए 19 अप्रैल 2012 को जारी अपने सुझावों को भादूविप्रा बार–बार लागू करने पर जोर देगी, जिससे एफएम चैनल की शहरों में नीलामी को बढ़ावा मिल सके।

(ii) स्थापित एफएम चैनल्स ऑपरेटर को पंद्रह (15) साल के अंदर चरण दो से चरण तीन में स्थानांतरित करना होगा। दूसरे चरण की अनुमत अवधि दस (10) साल थी।

(iii) चरण–3 के एफएम रेडियो के नीलामी के पूरा होने पर एमआईबी परिवर्तन की निर्दिष्ट तिथि तय करेगी। जबकि, परिवर्तन की निर्दिष्ट तिथि 31 मार्च 2015 से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

(iv) एफएम ऑपरेटरों के चरण–2 से चरण–3 में स्थानांतरण के लिए एक सूत्र निर्धारित किया गया।

(v) चरण–3 में नए नगरों के लिए आरक्षित कीमत निर्धारित करने हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि वर्तमान पद्धति नीलामी को जोखिम में डाल सकती है।

समूह एक्स, वाई और जैड के नगरों के विवरण अनुलग्नक–1 में दिए गए हैं।

डायरेक्ट टू होम (डीटीएच)

''नए डीटीएच लाइसेंस संबंधित मामलों'' पर सिफारिशें

डीटीएच दिशानिर्देशों में, जिनके अधीन लाइसेंस डीटीएच ऑपरेटर को जारी किए जाते हैं, लाइसेंस अवधि के पूरा हो जाने पर लाइसेंसों के विस्तार या नवीकरण के लिए कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है। इस संबंध में, एमआईबी ने भादूविप्रा की सिफारिशें मांगी। जांच के बाद, प्राधिकरण ने निष्कर्ष दिया कि 10 वर्ष की निर्धारित लाइसेंस अवधि की समाप्ति के बाद अपने व्यापार को जारी रखने के लिए डीटीएच ऑपरेटरों को अनुमति देने हेतु सरकार को एक नया लाइसेंस जारी करना होगा। तदनुसार, प्राधिकरण ने डीटीएच सेक्टर से संबंधित मुद्दों पर समग्र रूप से विचार किया और यथोचित परामर्श प्रक्रिया के अनुसरण के बाद, 23 जुलाई, 2014 को "नए डीटीएच लाइसेंसों से जुड़े मुद्दे" विषय पर एमआईबी को अपनी सिफारिशें प्रेषित कीं।

लाइसेंसों के नवीकरण के संबंध में अस्पष्टता को दूर करने के अलावा, ये सिफारिशें इंगित करती हैं कि सरकार डीटीएच क्षेत्र के लिए एक नई लाइसेंसिंग व्यवस्था लाए जो अन्य चीजों के साथ–साथ लम्बी लाइसेंस अवधि, युक्तिसंगत लाइसेंस शुल्क, युक्तिसंगत और विनियमित क्रॉस–होल्डिंग और प्रसारणकर्ताओं एवं डीटीएच ऑपरेटरों समेत वितरण प्लेटफार्म ऑपरेटरों के बीच लम्बवत एकीकरण की अनुमति देती है। ये सिफारिशें विद्मान व्यवस्था से नई व्यवस्था में ऑपरेटरों के स्थानांतरण के लिए एक प्रणाली भी सुझाती हैं। उक्त सिफारिशों में मौजूद उपबंधों को शामिल करने वाली एक नई लाइसेंसिंग व्यवस्था से अन्य बातों के साथ–साथ डीटीएच व्यापार में निश्चितता, कराधान दबावों को कम करने, इस क्षेत्र में बेहतर निवेश आकर्षित करने इत्यादि की और इसके द्वारा डीटीएच प्रचालनों में समग्र कार्यदक्षता को बढ़ावा देने की आशा की जाती है। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:–

(i) नए डीटीएच लाइसेंस की व्यवस्था

(क) डीटीएच लाइसेंस की अविध को दस से बीस साल तक बढ़ाया जाएगा, समयनुसार दस साल में नवीनीकरण किया जाएगा।

(ख) एक मुश्त प्रवेश शुल्क 10 करोड़ रूपये पर प्रतिधारित होगा।

(ग) मौजूदा लाइसेंस शुल्क को सकल राजस्व (जीआर) के दस प्रतिशत से कम करके दूरसंचार लाइसेंस के साथ समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 8 प्रतिशत तक किया जाएगा।

(घ) मौजूदा डीटीएच लाइसेंसों को उनकी मौजूदा लाइसेंसों की वैधता अवधि के दौरान किसी भी समय नए प्रणाली में स्थानांतरण की अनुमति होगी।

(ड) बीआईएस भादूविप्रा की सलाह से सेट टॉप बाक्स के लिए विशेष अपडेट के लिए करेगा, जिसका पालन डीटीएस लाइसेंसधारकों द्वारा किया जाना चाहिए।

(च) वाणिज्यिक इंटर पोर्टेबिलिटी के लिए भादूविप्रा द्वारा निर्धारित टैरिफ आदेश/ योजना को डीटीएच लाइसेंसधारकों द्वारा अनिवार्य से अनुपालन किया जाना चाहिए।

(ii) प्रसारण एवं प्रेषण क्षेत्र में क्रॉस होल्डिंग या नियंत्रण

(क) प्रसारण एवं वितरण क्षेत्र में समानता लाने के लिए क्रॉस होल्डिंग एवं नियंत्रण पर नीति का पुनर्गठन किया जाना है।

(ख) प्रसारण एवं वितरण क्षेत्र के सभी खंडों में 'नियंत्रण' की व्यापक परिभाषा को समान रूप से ग्रहण किया जाएगा।

(ग) पूरे देश के लिए और एमओएस/एचआईटीएस राज्य के लिए डीटीएच हेतु संबंधित बाजार।

(घ) प्रसारण एवं वितरण प्लेटफार्म ऑपरेटर्स (डीपीओएस) – एमओएस, एचआईटीएस और डीटीएच ऑपरेटर्स के लिए अलग से कानूनी संस्थाओं।

(ड़) प्रसारक एवं डीपीओएस एवं के बीच युक्ति संगत और नियम संगत स्पष्ट नियम की अनुमति दी जाए।

- एकीकृत सघन प्रसारणकर्ता और डीपीओ को विनियम के अतिरिक्त सेट के अधीन है।
- एक एकीकृत सघन प्रसारणकर्ता को भी सिर्फ एक डीओपी नियंत्रित करने की अनुमति दी जाएगी।
- वर्तमान बाजार में एक एकीकृत सघन डीपीओ को दूसरे डीपीओ को किसी भी वर्ग में अनियंत्रित करने पर प्रतिबंध लगाया जाए।
- वर्तमान बाजार में एक एकीकृत सघन डीपीओ को 33 प्रतिशत से ज्यादा बाजार में शेयर की अनुमति नहीं दी जाए।

(च) एकीकृत सघन प्रसारणकर्ता के लिए अतिरिक्त नियम में शामिलः–

- डीपीओ के साथ भेदभाव रहित और प्रति ग्राहक आधार पर शुल्क (सीपीएस) समझौता।
- प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति लेने के लिए संदर्भ परस्पर अधिकारी (आरआईओ) के पास दर्ज करना। सभी आंतरिक समझौतों को केवल आरआईओ में उल्लेखित शर्तों के अनुसार किया जाना है।
- प्राधिकरण द्वारा निर्धारण के अनुसार प्रकटीकरण करना।

(छ) एकीकृत सघन डीपीओ के लिए अतिरिक्त नियमों के लिए शामिल किया जाएगा :–

- डीपीओ इसके चैनल की क्षमता को प्रकट करेगा और इसके एकीकृत सघन प्रसारणकर्ता के लिए इस क्षमता के 15 प्रतिशत से ज्यादा सुरक्षित नहीं रखेगा। शेष क्षमता को बिना भेदभाव के आधार पर दूसरे प्रसारणकर्ता को प्रस्तुत किया जाएगा।

- डीपीओ अपने नेटवर्क पर अधिक चैनलों के वहन के लिए प्रवेश शुल्क को प्रकट करेगा। एक्सेस शुल्क का निर्धारण बिना भेदभाव के आधार पर तय किया जाएगा।

- प्राधिकरण द्वारा निर्धारण के अनुसार प्रकटीकरण करना।

मीडिया स्वामित्व

''मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दों ''पर सिफारिशें

मीडिया में अभिव्यक्तियों की बहुलता को सुनिश्चित करना यथा बड़ी संख्या में राय एवं विचारों का स्पष्ट, संतुलित और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। बाहरी बहुलता को सुनिश्चित करना, अर्थात राष्ट्रीय मीडिया बाजार में बड़ी संख्या में आवाजें और आंतरिक बहुलता यथा मीडिया आउटलेट द्वारा निष्पक्ष वास्तविकताओं और समाचारों का बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व किसी लोकतंत्र के कामकाज में मौलिक हैं।

मीडिया बाजार में बाहरी बाहुल्यता को सुनिश्चित करने हेतु क्रॉस मीडिया होल्डिंग्स पर विनियामक प्रतिबंध, जबकि किसी प्रसारण निकाय द्वारा कार्य क्षेत्र में एकता में प्रतिबंध और वितरण निकाय यह सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण हैं कि सभी वितरण चैनलों को अपनी राय जनता के सामने रखने के विकल्प खुले हैं। अंत में, सामग्री विनियमन वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि समाचारों की बढ़ती संख्या को मीडिया स्वामियों के राजनैतिक, व्यापारिक या आर्थिक लाभ हेतु उनकी परिसंपत्ति से जोड़कर देखा जाता है।

''मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दों'' पर सिफारिशें 12 अगस्त 2014 को जारी की गई थी। सम्बोधित महत्वपूर्ण समस्याएं और संबधित मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :–

(i) मीडिया निकाय के स्वामित्व एवं नियंत्रण की व्याख्या – संक्षेप में, कोई निकाय जिसे मीडिया निकाय में पचास प्रतिशत से अधिक का वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त होता है या अपने निदेशक मण्डल में पचास प्रतिशत से अधिक सदस्यों का नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है, को इसके अधीन माना जाएगा। इन सिफारिशों पर ऋण के माध्यम से भी विचार किया जाएगा और इसके लिए ऋण की सीमा को भी निर्धारित किया गया है जो मीडिया निकाय के नियंत्रण में ऋणग्राही के अधीन समझा जाएगा।

(ii) क्रॉस मीडिया स्वामित्व – क्रॉस मीडिया स्वामित्व अनुशंसित सिफारिशें मीडिया निकायों पर लागू होती हैं जिसके अंतर्गत समाचार और टेलीविजन और केवल समाचार पत्र में सामयिकी के क्षेत्र भी आते हैं जिसके कारण भारत में राय/विचार के आधार पर रेडियो और इंटरनेट प्रभावित होते हैं, जोकि बिल्कुल सीमित हैं।

समाचार पत्र वाले क्षेत्र में दैनिक अखबार जैसे कारोबार और वित्तीय समाचार पत्र इसके अंतर्गत आने चाहिए। इसकी सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :–

- यह पता करना कि क्या मीडिया बाजार एकाग्र है और क्या किसी निकाय का विषम बाजार हिस्सा है, एक प्रासंगिक बाजार में एक मीडिया खंड में एकाग्रता को मापने के लिए हरफिंडल हिर्चमैन सूचकांक (एचएचआई) को अपनाया जा सकता है।

- प्रासंगिक भौगोलिक बाजार को भाषा और उन राज्यों के संदर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिए जहां वह भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। टेलीविजन खंड के लिए बाजार में हिस्सेदारी की गणना के लिए पहुंच और खपत मेट्रिक्स की मात्रा के एक संयोजन इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रिंट खंड के लिए, केवल पहुंच मेट्रिक का उपयोग पर्याप्त माना जाता है।

- एचएचआई पर आधारित नियम लागू किया जाना है, इस प्रकार है – टेलीविजन के साथ–साथ अखबार बाजार को केंद्रित किया जाएगा यदि एचएचआई > प्रत्येक में 1800) है। इस प्रकार की स्थिति में, मीडिया निकाय टेलीविजन बाजार की एचएचआई में 1000 से अधिक योगदान है, तो वह अखबार बाजार की एचएचआई में 1000 से अधिक का योगदान नहीं कर सकता और इसके विपरीत। यदि यह ऐसा करती है, तो इसे दो खंडों में से एक में अपने नियंत्रण को कमजोर करना होगा। यह नियम केवल तभी लागू होता है जब लगातार दो साल के लिए एचएचआई की सीमाओं का उल्लंघन किया जा रहा हो।

- विस्तृत रिपोर्ट की आवश्यकताएं, जिन्हें लाइसेंसदाता और विनियामक के लिए एक वार्षिक आधार पर तैयार की जाएगी। इसके लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत है।

(iii) मीडिया संस्थाओं के बीच कार्यक्षेत्र में एकता – प्रसारकों और डीपीओ के बीच एकीकृत सघनता की सिफारिशों के बारे में, प्राधिकरण ने इसके ''नई डीटीएच लाइसेंसों से संबंधित मुददों की सिफारिशें'' दिनांक 23 जुलाई 2014 में निहित सिफारिशों की पुनरावृत्ति की है।

(iv) आंतरिक बहुलता को प्रभावित करने वाले मुद्दे – आंतरिक बहुलता के संबंध में प्राधिकरण ने टिप्पणी की है कि 12 नवंबर, 2008 और 28 दिसंबर, 2012 की इसकी सिफारिशों को कौन व्यक्ति/मीडिया निकायों का स्वामित्व नहीं चाहेगा जिन पर अभी तक सरकार द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, यह देखते हुए कि, उन्होंने दृढ़ता के साथ यह सिफारिष की है कि इन्हें तत्काल पूरा करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, नई समस्याओं की जांच के बाद प्राधिकरण यह सिफारिश करेगा :–

- ''निजी समझौतों''; ''विज्ञापन''; ''पेड न्यूज'', जैसे कार्यों उपयुक्त ढ़ंग से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तथा उनके आंतरिक तत्व तथा स्वच्छ एवं साफ समाचारों का अवमूल्यन वितरण की सामर्थयता को भी दिया जाना चाहिए।

- संपादकीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए "मीडिया विनियामक" की स्थापना की जानी चाहिए। अन्य बातों के साथ–साथ "मीडिया विनियामक" के संबंध में नियामक की सिफारिश है कि – सरकार द्वारा मीडिया को नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए; टीवी और प्रिंट मीडिया के लिए एक विनियामक प्राधिकरण होना चाहिए; यह विनियामक संस्था में अलग–अलग क्षेत्रों से संबंधित दो प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जैसे मीडिया अपितु इन्हें विशेष रूप से गैर–मीडिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए; और इन्हें शिकायतों की जांच करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए ताकि उन्हें ऐसे भ्रामक मीडिया पर जुर्माना लगाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

- प्राधिकरण को इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए कि प्राधिकरण को प्रभावी बनाने के लिए विधायी एवं कानूनी ढांचे को मजबूत करने और व्यापक मूल्यांकन की जरूरत है। लंबे समय से मजबूत संस्थागत तंत्र की स्थापना की अभी भी जरूरत महसूस की जा रही है। यह सिफारिश की जाती है कि आयोग में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष हो सकते हैं, जो मीडिया से विभिन्न मुददों की जांच कर अपना निर्णय सुनाएगा। इसके अंतर्गत मौजूदा संस्थानों की भूमिका एवं कार्य प्रदर्शन और भविष्य में किए जाने वाले कार्य भी शामिल होंगे।

सामुदायिक रेडियो

''सामुदायिक रेडियो से संबंधित मुददों'' पर सिफारिशें

एमआईबी ने भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) को दी गई मंजूरी के विस्तार के बारे में प्राधिकरण की सिफारिशों को जानने के लिए टीआरआई को यह संदर्भ दिया था। सीआरएस हेतु 2006 नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुमति अनुबंध हेतु ग्रांट (जीओपीए) की वैधता पांच वर्ष है और अनुमतियों के नवीनीकरण/विस्तार हेतु दिशानिर्देशों में कोई प्रावधान निहित नहीं है। कुछ सीआरएस के लिए इन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत जारी जीओपीए की वैधता पांच वर्ष पूरा होने पर समाप्त हो चुकी है, जिसके अनुसार उनका संचालन रोकना आवश्यक है। इसलिए प्राधिकरण एक अंतरिम उत्तर में उन्हीं दिशानिर्देशों के आधार पर जीओपीए ने आगे परिचालन का सुझाव दिया है।

सीआरएस स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसलिए, एमआईबी के संदर्भित की शर्तों को अलग रखते हुए, प्राधिकरण ने सीआरएस के विकास हेतु देश में उनके पिछले दशकों के आधार पर प्रासंगिक समस्याओं के बारे में सीआरएस अनुमति धारकों से पूर्व परामर्श प्रक्रिया में प्राप्त जानकारियां प्राप्त की हैं। इस बारे में बहुत से उत्तर प्राप्त हुए; अन्य बातों के साथ कार्यविधि संबंधी समस्याएं, तकनीकी समस्याएं, सामग्रीय सहायता और सहयोग शामिल किए गए।

चिन्हांकित समस्याओं के अतिरिक्त, प्राधिकरण ने इस महत्वपूर्ण भूमिका पर भी ध्यान दिया कि सीआरएस प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान संबंधित सूचना/सूचनाएं प्रदान करके स्थानीय समुदायों की सेवा कर रहे हैं। प्राधिकरण ने, समस्याओं का विस्तार से विश्लेषण करने के उपरान्त 'सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित

समस्याओं पर आधारित सिफारिशें' 29 अगस्त, 2014 को एमआईबी को भेजी। इन सिफारिशों की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

(i) आरंभ में पांच (5) वर्ष के लिए सीआरएस के संचालन की अनुमति देना;

(ii) बाद में प्रदर्शन के आधार पर अगले पांच साल (5) के लिए विस्तार का अनुमोदन देना।

(iii) सीआरएस को अपने मूल रूप से आकाशवाणी से स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक समाचार एवं सामयिक मामलों के प्रसारण की अनुमति दी जाएगी जो स्थानीय भाषा या बोली में होगी।

(iv) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एमआईबी और वायरलेस योजना के साथ परामर्श कर विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगी जो दूरसंचार विभाग के साथ तालमेल कर आपदा न्यूनीकरण करने और राहत कार्य में सीआरएस के उपयोग की अनुमति देगा।

(v) एमआईबी सामुदायिक रेडिया स्टेशन स्थापित करने के लिए पूरी आवेदन/अनुमोदन प्रक्रिया को एकीकृत करने हेतु एक आनलाइन 'एकल खिड़की' प्रणाली स्थापित करेगी। ऑनलाइन सिस्टम अनुमोदन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न सरकारी विभागों का एकीकृत करने के लिए एक आसान ई–गवर्नेंस प्लेटफार्म पर आधारित होगा। सिफारिशों का पूरा विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

प्लेटफार्म सेवाएं

'प्लेटफार्म सेवाओं के लिए नियामक संरचना'' के बारे में दिनांक 19 नवंबर की सिफारिशें

एमआईबी ने प्राधिकरण को केबल टीवी ऑपरेटरों और प्रोग्रामिंग सेवाओं द्वारा अपने उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही डीटीएस सेवाओं पर आधारित स्थानीय चौलनों की समस्याओं के लिए अपनी सिफारिशें प्रदान करने करने को कहा है। वितरक प्लेटफार्म ऑपरेटरों (डीपीओ) द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रोग्रामिंग सेवाओं को सामूहिक रूप से प्लेटफार्म सेवाओं के रूप में सदर्भित करने के लिए कहा है।

वर्तमान में डीपीओ द्वारा प्रदान किए जाने वाले पीएस किसी विशेष विनियम या दिशानिर्देशों का विषय नहीं है। इसी प्रकार से, ऐसे बहुत से स्थानीय प्रसारण ऑपरेटर हैं जो वितरण के लिए अपने केबल ऑपरेटरों को स्थानीय चैनल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो किसी विशेष विनियम के अंतर्गत नहीं आती हैं। चूंकि, ये प्लेटफार्म सेवाएं और स्थानीय चैनलों का परिचालन और वितरण बिना किसी पंजीकरण के किया जा रहा जा रहा है; इसलिए इन चैनलों के द्वारा प्रसारित की जाने वाली सामग्री विधि और व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है/सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के डीपीओ पर लागू विभिन्न नीति दिशानिर्देशों के अंतर्गत भेदभाव संबंधी उपचार किया जाना चाहिए और समान नीति लागू होनी चाहिए क्योंकि ये सभी अन्तर्निमेय सेवाएं हैं। इसलिए, इसके समाधान हेतु एक सरल, मजबूत और स्पष्ट नियामक प्रणाली की स्थापना करन अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिससे पीएस के बारे में उन चिंताओं का समाधान हो पाएगा जिन्हें केबल टीवी नेटवर्क पर प्रसारित किया जा रहा है।

भारत के चारों क्षेत्रों में शेयर धारकों के साथ खुले मंच पर गहन परामर्श प्रक्रिया आयोजित करने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा 19.11.2014 को 'प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक ढांचा' की सिफारिशें जारी की गई। इन सिफारिशों की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:–

(i) 'प्लेटफार्म सेवा' और विषय–वस्तु की व्याख्या करना, जिसका प्रसारण इन चैनलों पर किया जाता है।

(ii) पंजीकरण के आधार पर, ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से, एमआईबी एक ऑनलाइन रजिस्टर तैयार कर रहा है। पंजीकरण, सूचना के सरल सेट के आधार पर और प्रति चैनल 1000 रू. के नाममात्र पंजीकरण शुल्क पर किया जाएगा;

(iii) किसी स्थानीय जानकारी; स्थानीय मामलों का बुलेटिन, जिनको प्रसारित किया जा सकता है, के लिए जिला अधिकारियों से पूर्व में अनुमति प्राप्त की जाए;

(iv) प्लेटफार्म सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी डीपीओ की इच्छुकता को भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल होना; और

(v) एक डीपीओ द्वारा ग्राहक को पेशकश किए जाने वाले इस तरह के चैनलों की संख्या की सीमा निर्धारित की गई है।

प्लेटफार्म सेवाओं की सिफारिशों के अलावा प्राधिकरण स्वयं स्थानीय प्रसारकों की अन्य सेवाओं के विनियामक के लिए भी सिफारिशें करेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत में किसी भी टीवी नेटवर्क पर वितरित किया जाने वाला टीवी चैनल एक ही विनियामक ढांचे के अधीन होगा, चाहे वह सेटलाइट पर आधारित प्रसारक हो या नेटवर्क परिचालक द्वारा निर्मित हो या फिर स्थानीय प्रसारक हो। इस संबंध में दूरसंचार विभाग (डीओएस) और अन्तरिक्ष विभाग (डीओएस) से स्पेक्ट्रम और अनुमति लेने को छोड़कर, स्थानीय प्रसारकों के लिए भी सेटलाइट प्रसारकों के समान ही नियम लागू होंगे।

एफएम रेडियो चैनलों को टीवी चैनल वितरण नेटवर्क पर पुनःप्रसारण का अधिकार होगा बषर्ते कि उन्होंने ऐसा करने का कानूनी अधिकार प्राप्त किया हो। हालांकि, प्राधिकरण ने कहा है कि भारत में एफएम रेडियो उद्योग के पूरी तरह विकसित होने के बाद इस विषय पर बाद में पुनःविचार किया जाएगा।

III. अन्य मुद्दे

1. टेक्नोलॉजी डाइजेस्ट का प्रकाशन

नई तकनीकें लगातार विकसित हो रही हैं और दूरसंचार क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सीमा में इनकी उपयोगिताएं मिलती है। जबकि, अधिकतर दूरसंचार पेशेवरों के लिए दूरसंचार तकनीकी की प्रगति के साथ तालमेल रखना मुश्किल होता जा रहा है। इस उद्योग में नई तकनीकी प्रवृत्तियों का पहचानने एवं साझा करने के लिए, भादूविप्रा ने एक तकनीकी बुलेटिन प्रकाशित करता है, जिसका नाम 'टेक्नोलॉजी डाइजेस्ट' है, जिसका प्रत्येक संस्करण एक तकनीकी पहलू पर केंद्रित होगा। वर्ष 2014 के दौरान टेक्नोलॉजी डाइजेस्ट में भावी सृजन नेटवर्क शीर्षक 'बियोंड 4जी' के विषय पर और डेटा से संबंधित मामले शीर्षक 'लोट्स ऑफ डेटा (बिग डेटा)' प्रकाशित किए गए थे।

2. हरित दूरसंचार

भादूविप्रा दूरसंचार क्षेत्र में हरित तकनीकी पर दूरसंचार विभाग के दिशा को लागू करने की निगरानी कर रहा है। इस सबंध में आधार वर्ष (2011–12), (2012–13) और प्रथम छमाही 1(2013–14) के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित एनएलडी/आईएलडी/आईएसपी और एक्सेस एसपी की कार्बन फुटप्रिंट रिपोर्टें भादूविप्रा द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं। अभ्यास के स्वैच्छिक कोड भी दूरसंचार एसोसिएशन ऑपरेटरों के द्वारा जमा करवा दिए गए हैं।

3. एमआईएस परियोजना

सेवा प्रदाताओं से इलैक्ट्रानिक फार्म में विभिन्न रिपोर्टें सुरक्षित रुप से प्राप्त करने के लिए एमआईएस परियोजना 1 जनवरी 2014 को शुरू की गयी। परियोजना विभिन्न नियमित रिपोर्टों को वांछित रूप में स्वतः सृजन करने में भी सहायता करती है। इस परियोजना में विभिन्न डैशबोर्ड्स का सृजन भी शामिल है जो कि सूचना का सारांश भी उपलब्ध करवाती है। इस प्रकार परियोजना सभी अंषधारकों को कुशलता और शुद्धता सुधारने के साथ कागज बचाने में भी सहायता करती हैं। अंशधारकों से प्राप्त डाटा से आवश्यकतानुसार विशिष्ट रिपोर्टों का भी सृजन भी किया जा सकता है।

4. भादूविप्रा के लिए सूचना सुरक्षा नीति तैयार करना और उसका कार्यान्वयन

भादूविप्रा के लिए सूचना सुरक्षा नीति को भादूविप्रा के अंदर ही अंतिम रूप दिया और लागू किया गया। यह नीति भादूविप्रा द्वारा संभाली जा रही जो सभी महत्वपूर्ण सूचना को बचाने और उसकी सुरक्षा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक आंतरिक आश्वासन तंत्र के रूप में कार्य करेगी। यह नीति भादूविप्रा सर्वर सिस्टम पर प्रोसेस या स्टोर की गई सारी सूचना और भादूविप्रा के लिए काम कर रहे इसके नेटवर्को पर प्रसारित सूचना की सुरक्षा को कवर करती है।

5. लेखापरीक्षा एवं सर्वेक्षण

भादूविप्रा ने लेखापरीक्षा के लिए और सेवा की गुणवत्ता के बारे में प्रदाताओं के कार्यनिष्पादन के आकलन और साथ ही सर्वेक्षण के माध्यम से सेवा के प्रति ग्राहक धारणा के आंकलन हेतु क्षेत्रीय आधार पर स्वतंत्र एजेंसियों को नियुक्त किया है।

भादूविप्रा, सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा प्रदर्शन की गुणवत्ता के बारे में सूचना, स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के परिणाम एवं सेवा गुणवत्ता के आकलन तथा स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा सेवा के प्रति ग्राहक धारणा के सर्वेक्षण के परिणाम संबंधी जानकारी सभी हितधारकों के लिए वेबसाइट पर प्रकाशित करता है। सेवा की गुणवत्ता से संबंधित सूचना सेवा प्रदाताओं को सेवा की गुणवत्ता के निष्पादन में सुधार हेतु प्रोत्साहित करने और मानदडों में कमी को पूरा करने के लिए प्रकाशित की जाती है।

लेखापरीक्षा का कार्य मैसर्स आईएमआरवी, मैसर्स टीयूवी एंड एसयूडी और मैसर्स सीएस डाटामेशन द्वारा किया गया है। लेखापरीक्षा रिपोर्टों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून 2014 और जुलाई से सितंबर 2014 तक लेखापरीक्षा का कार्य किया और उसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

सर्वेक्षण का कार्य मैसर्स वॉयस, मॉट मैक डोनाल्ड और आईएमआरबी को सौंपा गया था। सर्वे रिपोर्टों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण अक्तूबर 2013 से मार्च, 2014 (अर्द्ध–वार्षिक) अवधि के लिए किया गया और भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

6. ''मोबाइल टावरों और हैंडसेटों से निकलने वाले विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रीय विकिरण के प्रभाव'' की सूचना

जुलाई 2014 में भादूविप्रा ने प्रदूषण मुक्त वायु और ईएमएफ विकिरण के बारे में उपभोक्ताओं को सूचना देने के लिए "मोबाइल टावरों और हैंडसेटों से निकलने वाले विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रीय विकिरण के प्रभाव" की सूचना प्रकाशित की है। इसमें मोबाइल टावरों और मोबाइल हैंडसेटों से उत्पन्न होने वाले विकिरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में व्याख्या की गई है जिसमें विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा मानदंडों को निर्धारित किया गया है। इस प्रकाशन में, संपर्क में आने के स्रोत, इनके संपर्क में आने से ईएमएफ पर पड़ने वाले प्रभावों, बेस स्टेशनों से उत्सर्जन हेतु गैर–ऑयोनाइजिंग विकिरण सुरक्षा (आईसीएनआईआरपी) दिशानिर्देशों के बारे में ईएमएफ और अंतर्राष्ट्रीय आयोग से ऊर्जा के अवशोषण के बारे में जानकारी भी दी गई है। इस प्रकाशन में ईएमएफ विकिरणों के बारे में विभिन्न अध्ययनों पर आधारित जानकारी प्रकाशित की गई है। इस प्रकाशन में भारत में विकिरण के वर्तमान मानकों और अन्य देशों में पालन किए जाने वाले मानकों के बारे में भी जानकारी दी गई है।

7. मीटरिंग एवं बिलिंग

मीटरिंग और बिल बनाने के विनियम पर भादूविप्रा द्वारा सूची में शामिल लेखापरीक्षकों द्वारा टीएसपी की बिलिंग प्रणाली के लेखापरीक्षण में विचार किया जाता है। लेखापरीक्षकों ने भादूविप्रा द्वारा निर्धारित जांच सूची के अनुसार लेखा

परीक्षण का काम लिया है। सेवा प्रदाताओं ने भादूविप्रा के साथ मिलकर बुनियादी और मोबाइल सेवाओं के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों पर लेखापरीक्षण के अवलोकन पर अलग–अलग अपनी कारवाई रिपोर्टें दर्ज की हैं।

टीएसपी ने लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए अवलोकनों पर आधारित सुधारात्मक कारवाई की है और विभिन्न अवलोकनों में अधिक ली गई राशि को प्रभावित ग्राहकों को लौटा दिया है। 1,87,54,612/– रू0 की राशि प्रभावित ग्राहकों को वापिस की गई और 13,73,616/– रू0 की राशि भादूविप्रा के दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (टीसीईपीएफ) में जमा करवा दी गई थी।

समूह एक्स, वाई एवं जैड के शहरों का विवरण

(i) समूह एक्स – कोलकाता, इंदौर, बड़ौदा, भोपाल, जबलपुर, कोयंबटूर, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, ग्वालियर, जालंधर, त्रिवेंद्रम, कन्नूर, त्रिचूर, गंगटौक, पणजी और शिमला।

(ii) समूह वाई – मुंबई, दिल्ली, चैन्नै, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, नागपुर, जयपुर, बंगलौर, जमशेदपुर, राजकोट, अमृतसर, वाराणसी, कोच्चि, मदुरै, भुवनेश्वर, सिलीगुढ़ी, गुवाहाटी, जोधपुर, पटियाला, उदयपुर, कोटा, पुडुचेरी, मंगलौर, हिसार और करनाल।

(iii) समूह जेड – लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, आसनसोल, पटना, आगरा, इलाहाबाद, विजयवाड़ा, राउरकेला, मुजफ्फरपुर, कोहलापुर, नासिक, औरंगाबाद, शोलापुर, सांगली, अहमदनगर, जलगांव, धुले, बिलासपुर, अकोला, नांदेड़, चंडीगढ़, अजमेर, बरेली, जम्मू, श्रीनगर, बीकानेर, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, कोझिकोडे, तिरूचि, तिरूपति, मैसूर, टूटीकोरिन, तिरूनेवेली, गुलबर्ग, राजामुंदेरी, वारंगाल, शिलोंग, अगरतला और इटानगर।